लिंग न्याय की नीति
(जेन्डर जस्टीस पॉलिसी)

दी लूथरन
वर्ल्ड फेड्रेशन

कलीसियाओं
की सहभागिता

© The Lutheran World Federation, 2013

Editor: Elaine Neuenfeldt

Design & Layout: Communication Services
Department for Theology
and Public Witness

Photos: © Barbara Robra and
© The Lutheran World Federation

Publisher: **The Lutheran World Federation**
- A Communion of Churches
Department for Theology and
Public Witness
Women in Church and Society
Route de Ferney 150
P.O. Box 2100
1211, Geneva 2, Switzerland

info@lutheranworld.org

विषय वस्तु

प्राक्कथन 1

लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की राह पर साथ
मिलकर चलना एक शिक्षाप्रद यात्रा 2

बाइबलीय नीवं एवं मूलाधार 4

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन
लिंग न्याय की नीति के सिद्धान्त 13

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस)
की नीति की पद्धतिं 14

शब्दसंग्रह 38

और अधिक ऑनलाइन
लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) नीति के साधन 41

प्राक्कथन

सभी को उचित न्याय मिले, यह बाइबल की मांग, सहभागिता की समझ के गर्भ में बसा हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें छुटकारा दिलाता है, मसीह में हमें एक दूसरे के करीब लाता है और न्याय, शान्ति एवं मेल–मिलाप के लिये हमें जीने तथा साथ कार्य करने में समर्थ बनाता है।

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन, कलीसियाई जीवन एवं समाज में, तथा उनके निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में महिलाओं तथा पुरूषों का पूर्ण तथा न्यायसंगत सहयोग को शामिल करने और उन्हें समर्थ बनाने के प्रति समर्पित है। वह अतीत में लिये उन निर्णयों तथा की गई कार्यवाहियों को देखते हैं, जो इस समर्पण को अभिव्यक्त करता है।

यह लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन की लिंग न्याय की नीति (जेन्डर जस्टीस पॉलिसी) जो 2013 के लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन की महासभा में मंजूर की गई थी, सबको सम्मिलित करने की दिशा में सहभागिता के सफर को और आगे बढ़ाने का एक साधन है। एक दूसरे के सहभाग की प्रक्रिया से विकसित यह नीति, यह सदस्यीय कलीसियाओं में अनुभव के द्वारा उत्पन्न हुई है, और हमारी लूथरन पहचान के बाइबलीय एवं धर्मशास्त्रीय आधार से समृद्ध हुई है तथा क्षेत्रों में योजनाओं तथा रणनीतियों को संदर्भ से सम्बन्ध स्थापित

रेव्ह. मार्टीन जंगे,
दी लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन के जेनरल सेक्रेटरी

करने के लिए मार्गदर्शन और पद्धतियां प्रदान करती है और इस समस्त सहभागिता के कार्य में लिंगों (जेन्डर) को जोड़ने को सबसे ऊपर प्राथमिकता देता है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने तथा महिलाओं को नेतृत्व के पदों पर आरुढ़ करने के दृढ संकल्प के प्रति लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन के ऐतिहासिक समर्पण के समान ही लिंग न्याय की नीति एक और उपलब्धि है, जैसे जैसे लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन, सबको सम्मिलित करने के अपने दर्शन को प्राप्त करने की ओर बढ़ता जा रहा है।

इन दस्तावेजों में जो मार्ग तैयार किया गया है, वह सम्बन्धों और ढांचों के संदर्भ में बदलाव के आंदोलनों के लिये अवसर के द्वार खोलता है। यह आमंत्रण हर एक व्यक्ति के लिये हैं– विशेषकर कलीसिया के अगुवों, धर्मशास्त्र के अभ्यासक, अगुवाई करने तथा निर्णय लेने के पदों पर आरूढ़ स्त्री एवं पुरुषों के लिये, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का संचालन करने वाले लोगों के लिये – ताकि वे लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) को विश्वास का विषय माने। अतः लिंग न्याय, (जेन्डर जस्टीस) कलीसिया के अस्तित्व के मूलाधार आयामों तथा जनसाधारण में उसकी भविष्यसूचक वाणी की ओर इशारा करता है।

यह लिंग न्याय की नीति (जेन्डर जस्टीस पॉलिसी) आप तक एक ऐसे समय में पहुँच रही है जब महिलाएं कलीसिया और समाज, दोनों जगहों में चुनौतियों का सामना कर रही हैं और पुरुष और महिलाएं, दोनों न्याय पर आधारित सम्बन्ध के लिये परमेश्वर की पुकार को लगातार सुन रहे हैं। यह ऐसे समय प्रकाशित किया जा रहा है जब लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन की सहभागिता लगातार नवीनीकरण की पुकार सुन रहा है (सेम्पर रिफॉर्मान्डा) जब 2017 में लूथरन सुधारना की 500 वे वार्षिकमहोत्वस की तैयारियाँ कर रहा है। इसे मैं आपके प्रार्थनामय अध्ययन तथा विवेकबुद्धि के सुपूर्द करता हूं ताकि इसे कलीसिया के ढांचे और जीवन में अभिव्यक्त होने का मार्ग मिल सकें। क्योंकि लिंगों (जेन्डर) में आपसी सम्बन्ध भी परमेश्वर के रूपान्तरण सामर्थ के अधीन है और उसका नवीनीकरण किया जा सकता है जिससे वह न्यायसंगत और उचित बनाया जा सके।

रेव्ह. मार्टीन जंगे
जेनरल सेक्रेटरी
दी लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन

लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की राह पर साथ मिलकर चलना: एक शिक्षाप्रद यात्रा

> "... जिस राजमार्ग से तू गई थी, उसी में खम्भे और झण्डे खड़े कर; और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगा" (यिर्मयाह 31:21)

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन की सहभागिता में, जबकि हमारा एक सहभागिता होने की दिशा में साथ मिलकर यात्रा करना जारी है जिसमें हम सबको सम्मिलित करने का दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं, ऐसे में लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) पर शिक्षाप्रद चर्चा का परिणाम, व्यापक अभिव्यक्तियों में हो सकता है कि हम किस रीति से पढ़ाना, सीखना, साथ देना, सलाह देना और एक दूसरे को सहारा देना चाहते हैं।

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन लिंग न्याय की नीति, (जेन्डर जस्टीस पॉलिसी) नियमों एवं निर्देषों पर अवलंबित है जो लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने में सहायता करते हैं। यह अलग अलग संदर्भों से सम्बन्धित वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया में मदद करते हैं।

अतः हम पढ़ते हैं:

> यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है; यहोवा के नियम विश्वासयोग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं; यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनन्दित कर देते हैं; यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है; यहोवा का भय पवित्र है, वह अनन्तकाल तक स्थिर रहता है; यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुन्दन से भी बढ़कर मनोहर हैं; वे मधु से और टपकनेवाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं (भजन. 19:7–10)।

प्राणों को बहाल करने वाले तथा हृदय को आनन्दित करने वाले बाइबल की व्यवस्था और उपदेशों की तसवीर, स्त्रियों तथा पुरूषों को आपसी सम्बन्धों में न्याय और प्रतिष्ठा को पुनःनिर्मित करने में मदद करती है।

यह दस्तावेज दो भागों में बंटें हैं: लिंग न्याय नीति के सिद्धान्त तथा लिंग न्याय नीति की पद्धति।

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) नीति के सिद्धान्त, सहभागिता के प्रत्येक स्तर पर लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) के प्रति समर्पण के लागूकरण को अनुकूल बनाने के लिये एक ढांचा प्रदान करते हैं।

लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) नीति के सिद्धान्त

यह दस सिद्धान्त, लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) के सम्बन्ध में लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन सहभागिता के निश्चय कथनों को अभिव्यक्त करने की प्रमुख बातें हैं। सहभागिता के लिये लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) का क्या अर्थ है, यह उसके गर्भ में बसे हैं, यह वे मापदण्ड हैं, जिसके आधार पर इस सहभागिता के कार्यों को नापा जा सकता है, और सहभागिता को लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की दिशा में आगे बढ़ाने के लिये मार्ग दिखाने वाले खम्भें और राह के झण्डे है।

लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) नीति की पद्धति

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन की लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) नीति की पद्धति, क्षेत्रीय अभिव्यक्तियों और सदस्य कलीसियाओं के माध्यम से लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की नीति से सिद्धान्तों को लागू करने के लिये साधन उपलब्ध कराती है, इस अपेक्षा के साथ कि स्थानीय संदर्भों को ध्यान में रखते हुए इसे अपनाया जाएगा। क्षेत्रीय अभिव्यक्तियों से सम्बन्धित क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से इस प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा।

वैश्विक स्तर पर, जनरल सेक्रेटरी, महासभा को दिये गए अपने रिपोर्ट में, लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन की लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की नीति के कार्यान्वयन की प्रगति का विवरण सहभागिता को प्रस्तुत करेंगे।

पद्धतियों और उपकरणों को विकसित किया जाएगा ताकि सदस्य कलीसियाओं से सम्बन्धित समूहों द्वारा इन कार्यक्रमों तथा प्रणालियों को आसानी से अपनाया जा सके।

इसका लक्ष्य है कि इसको सीखने के गुटों तथा आचरण में लाने वाले समुदायों को स्थापित किया जा सके, जहां जानकारी का आदन–प्रदान हो तथा एक दूसरों को सहारा देते हुए तथा सहभाग के द्वारा प्रभावशाली रीति से इसे कार्यान्वित किया जाए।

बाइबलीय नींव एवं मूलाधार

> "आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी; और गहरे जल के ऊपर अन्धियारा था: तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मण्डलाता था।.... तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, सब को देखा, तो क्या देखा, कि वह बहुत ही अच्छा है" (उत्पत्ति 1:1द्व2, 31अ)।

उत्पत्ति की पुस्तक में, सृष्टि की निर्मिती की कहानियाँ, सृष्टि का एक आव्हानात्मक वर्णन है जिसमें हर एक चीज़ जिसका अस्तित्व है, केवल परमेश्वर पर निर्भर है। सृष्टि की कहानी, जिसे हम उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में पाते हैं, उसका उपयोग अक्सर न केवल मानवजाति का अस्तित्व एक दूसरे के विरुद्ध है इस बात पर बहस करने के लिये किया जाता है, बल्कि मानवजाति का एक रुप (पुरुष), यह दूसरे रुप (स्त्री) से श्रेष्ठ है, यह दर्शाने के लिये भी किया जाता है। यद्यपि, उत्पत्ति में पाई जाने वाली सृष्टि की कहानियों को पुरूष और स्त्री में भिन्नता को दर्शाने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर और सृष्टि के बीच की सबसे महत्वपूर्ण भिन्नता की कल्पना को अभिव्यक्त करने के रुप में भी समझा जा सकता है। सृष्टि पूर्णतः परमेश्वर पर निर्भर है; सृष्टि को लेकरे यही मूल धर्मशास्त्रीय सम्बन्ध है।

परमेश्वर और सृष्टि की मूल–भूत पृथकता को प्रेम के द्वारा परिभाषित किया गया है, न कि मानवजाति के विशिष्ट दोहरे लिंगों की पृथकता के द्वारा। हालांकि, सृष्टि की कहानियों को कभी–कभी न केवल लिंगों के भेद को पुश्ता लगाने के लिये किया जाता है, बल्कि उनका उपयोग पुरूषों की तुलना में स्त्रियों का मूल्य कम आंकने के लिये भी किया जाता है। इन कहानियों को विस्तृत रीति से पढ़ने पर समझ में आता है कि वास्तव में सच्चाई यह नहीं है।

समानता, यह दूसरा शुरुआती बिन्दु हो सकता है (उत्पत्ति 1:27)। परमेश्वर ने सभों को समान उत्पन्न किया है। परमेश्वर के लगातार चल रहे सृष्टि के कार्य की देखभाल करने के लिये दोनों ही लिंगों को समानता में बुलाता है।

उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ने में, उसमें देखभाल और प्रेम के जो नीतिमूल्य शामिल है, वह लिंग न्याय के नीतिमूल्यों पर बल देते हैं क्योंकि आदरसत्कार, प्रेम और पृथकता को स्वीकार करना इस दृष्टिकोण के कारण प्रबल है कि मानवजाति हर समय परमेश्वर की आंखों के सामने या उसकी उपस्थिति में हैं। एक दूसरे के तथा समस्त सृष्टि के भंडारी होने के लिये मानवजाति को एकसाथ बुलाया गया है।

> "फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं; और वे समुद्र की मछलियों, और आकाश के पक्षियों, और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगनेवाले जन्तुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसका उत्पन्न किया, नर और नारी करके उस ने मनुष्यों की सृष्टि की" (उत्पत्ति 1:26–27)।

सबको संमिलित करने के लिये पवित्र शास्त्र हमें एक आधार प्रदान करता है। जैसा कि हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, जिस प्रकार यीशु स्त्रियों के सम्बन्ध में बात करते है, वह खुले, संमिलित करने वाले, स्वागत करने वाले तथा पुनर्स्थापित करने वाले थे। बाइबल की गवाहियाँ इस बात की पुष्टि करती हैं कि परमेश्वर का वचन यह सभों के लिये बहुतायत के जीवन का वचन है– स्त्री और पुरूष, दोनों के लिये।

बपतिस्मा के द्वारा, एक समानता का समुदाय होने के नाते, कलीसिया को परमेश्वर की ओर से आदेश है कि वह समानता का घोषित करे और उसे आचरण में लाए। जैसा कि हम गलतियों 3:27–28 में पढ़ते हैं।

> "और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्ता लिया है उन्होंने मसीह का पहिल लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी; न कोई दास, न स्वतंत्र; न कोई नर, न नारी; क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो।"

लिंग (जेन्डर) सम्बन्धों के संदर्भ में, बाइबल से पढ़े जाने वाले ये पद, सहभागिता को प्रेरणा देती है कि वह रूपान्तरण को अपनाने वाला एक समुदाय बने। जिस प्रकार रुढिबद्ध लोगों पर, जो विशेषकर स्त्रियों को परन्तु पुरूषों को भी अधीनस्थ रखते हैं तथा जो परमेश्वर द्वारा दी गई अखंडता और प्रतिष्ठा का उल्लंघन करते हैं, उन पर रोक लगाना संभव है, उसी प्रकार स्त्रियों और पुरूषों के बीच पूर्ण और समानता में साझेदारी करना भी संभव है। जैसे जैसे यह सहभागिता अपने विश्वास और आशा की यात्रा पर लगातार आगे बढ़ती जाती है, पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है कि हम बाइबल के पाठ्यों का जीवन देने वाले तथा जीवन को पुष्ट करने वाली रीति से अनुवाद करें। लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन के निर्णय लेने के स्तर पर किए गए कार्य के लिये यह आधारीय आदेश है।

आदेश

अक्तूबर 2009 में, लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन ने यह दस्तावेज प्राप्त किया, *"ऐसा तुम्हारे बीच नहीं होगा!" लिंग (जेन्डर) और अधिकार पर विश्वास की अभिव्यक्ति* [1] और "सदस्य कलीसियाओं को अनुवर्तन की प्रक्रिया में सक्रिय रुप से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने को चुना, जिससे कि लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन लिंग की नीति विकसित की जा सकें"।

2010 में, लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन के ग्यारहवीं सभा में निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनाया गया:

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन के संमिलित करने के सिद्धान्त: लिंग (जेन्डर) संतुलन:

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन सभा, महासभा, अधिकारीगण, तथा अन्य सभी समितियां एवं कर्मचारीगण, वे सभी जो प्रादेशिक स्तरों पर कार्यरत हैं, इन सभों में कम से कम चालीस प्रतिशत स्त्रियों का समावेश होगा और कम से कम चालीस प्रतिशत पुरूषों का। और इस कोटे को युवा प्रतिनिधियों के बीच भी लागू किया जाएगा।

1. At www.lutheranworld.org/content/resorce-it-will-not-be-so-among-you-faith-reflection-gender-and-power

क्षेत्रीय स्तर पर ये जो भी गतिविधियों का आयोजन करेंगे, उनमें लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन इस मौलिक सिद्धान्त को आचरण में लाएगा, और लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन के कार्यकर्ता उन लोगों को प्रोत्साहित करेंगे जिनके साथ मिलकर वे यह कार्य कर रहे हैं।[2] यह मौलिक सिद्धान्त लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन के सहभागिता के कार्यालय के कार्यकारी कर्मचारियों पर भी लागू होता है।[3]

लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) पर प्रस्ताव

हम सभा से यह अनुरोध करते हैं कि स्त्रियों के संदर्भ में कलीसिया की जीवनचर्या में – लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन की सहभागिता में –

2 विद्यमान चुनौतियों, सभाओं और गतिविधियों को स्वीकार करना जिसमें मौलिक सिद्धान्तों को लागू नहीं किया गया है, उन्हें अवैध घोषित करने की जरूरत नहीं, परन्तु उनके द्वारा इन सिद्धान्तों को स्वीकृत न किया जाने को औपचारिक रुप से मान्यता दी जाएगी और इसको बेहतर करने के कार्यों की योजना बनाने की जरूरत है।

3 दिन भर की रोटी आज हमें दे, आधिकारिक रिपोर्ट, लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन की ग्यारहवीं सभा, स्टुटगार्ट, जर्मनी, 20–27 जुलै, 2007 (जेनेवा: दी लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन, 2010), 61.

और साथ ही समाज में उनका पूर्ण सहभाग हो, इसके लिये सदस्य कलीसियाओं से निवेदन करें कि वे लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन की नीतियों और निर्णयों को सच्चे, व्यावहारिक और प्रभावशाली रीति से लागू करने के प्रति पुनःसमर्पित हो।

हम सदस्य कलीसियाओं से यह अनुरोध करते हैं कि वे ऐसे उचित कानून और व्यवस्था की नीतियां बनाएं जो स्त्रियों को नेतृत्व करने के पदों को संभालने में समर्थ बना सके– अभिषिक्त किए गए और साधारण (अनभिषिक्त) स्त्री को भी, और उन्हें अवसर प्रदान करे कि वे धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर सकें। हम उन कलीसियाओं से निवेदन करते हैं कि जो स्त्रियों को पादरी बनाने के पक्ष में नहीं है कि वे प्रार्थनापूर्ण रीति से इस विषय पर विचार करें कि उनके इस निष्क्रियता तथा इनकार का असर उन स्त्रियों पर क्या होता होगा जिन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को केवल इसलिये अनसुना कर दिया क्योंकि वे एक स्त्री है। इस बहिष्कार की पीड़ा और परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदानों की हानि, समस्त कलीसिया अनुभव कर रही है।

हम सदस्य कलीसियाओं से तथा लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन सचिवालय से निवेदन करते हैं कि सहभागिता के अंतर्गत आने वाले सभी सदस्य कलीसियाओं के जीवन के सभी

पहलूओं में लिंग आकलन को एक बाइबलीय तथा धर्मशास्त्रीय साधन के रूप में शामिल करें, जिसमें समर्थन और डायकोनल कार्य का भी समावेश है।

हम प्रसंगोचित लिंग (जेन्डर) नीतियों को विकसित करने के लिये कार्य सम्पादन करने की एक स्पष्ट योजना तैयार करने की मांग करते हैं, जिन्हें सभी सदस्य कलीसियाओं के हर एक स्तर पर लागू किया जा सकें तथा लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन के सचिवालय के लिये भी अनिवार्य हो। हम महासभा से निवेदन करते हैं कि वे इस तरह के मार्गदर्शक प्रक्रियाओं को विकसित कर उनका अनुमोदन करे।

सहभागिता के एक अत्यावश्यक सदस्य के रुप में हम चाहते हैं कि स्त्री अगुवों को, पादरी एवं साधारण, विशेषकर महिला बिशप तथा अध्यक्षाओं को सहारा दिया जाए।

हम चाहते हैं कि लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन और उसकी सदस्य कलीसियाएं घरेलू हिंसा के विरुद्ध एक स्पष्ट रूख अपनाएं, इस बात को सम्मान देते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने आप को सुरक्षित महसूस करना तथा उनसे आदरपूर्वक व्यवहार किया जाना यह उनका अधिकार है, जब वे स्वयं के घर में हो, तब भी।

हम महासभा से मांग करते हैं कि लिंग न्याय का विषय उनकी कार्यसूची (एजेन्डा) का एक नियमित विषय बना रहे। क्योंकि इस सभा में जवान पुरूष और स्त्रियों के बीच एक असंतुलन दिखाई देता है, और महासभा को चाहिए कि वह इस ओर विशेष ध्यान दे।[4]

बोगोटा, कोलंम्बीया में 2012 में हुई सभा में लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन महासभा ने सहभागिता के कार्यालय से निवेदन किया कि वे 2013 की महासभा में लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन लिंग न्याय की नीति (जेन्डर जस्टीस) का एक प्रारूप प्रस्तुत करे। जून 2013, जेनेवा में, लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन लिंग न्याय की नीति (जेन्डर जस्टीस) को महासभा द्वारा अपनाया गया।

परिभाषा

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन लिंग न्याय की नीति (जेन्डर जस्टीस) सिद्धान्तों के कलमों की एक रूपरेखा है और सहभागिता को लिंग न्याय की प्राप्ती करने के लिये एक आधार प्रस्तुत करती है।

लिंग न्यायः इसमें स्त्रियों तथा पुरूषों की मान–मर्यादा की सुरक्षा एवं उन्नति अन्तर्निहित है, जिन्हें परमेश्वर के स्वरूप में बनाए जाने

4 इबीद

के कारण, दोनों ही सृष्टि के जिम्मेदार भण्डारी है। लिंग न्याय, पुरूषों एवं स्त्रियों में समानता और दोनों के बीच अधिकार सम्बन्धों में संतुलन, तथा विशेषाधिकार एवं दमन की संस्थानिक, सामाजिक तथा पारस्परिक प्रणालियों को हटा देना, जो भेदभाव को बनाए रखता है, इसे अभिव्यक्त करता है।

लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस): सहभागिता का दर्शन

परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा स्वतंत्र की गई मसीह में एक सहभागिता, जो एक न्याय्य, शान्तिपूर्ण और मेल किए हुए संसार के लिये जी रही तथा साथ मिलकर कार्य कर रही है।[5]

सहभागिता को मसीह में जीने तथा कार्य करने के लिये बुलाया गया है, कि वह अन्याय और अत्याचार का निपटारा करे, तथा एक बेहतर जीवन की रूपान्तरित वास्तविकताओं और समुदायों को उत्पन्न करे जहां भिन्न लिंगों के विषय में एक उचित आपसी सम्बन्ध हो तथा जो समस्त मानवजाति की उन्नति को पोषित तथा अगुवाई करता हो।

सहभागिता में होने के कारण, एक आत्मिक यात्रा की राह पर साथ चलना आवश्यक है, परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार से पोषित किए जाए, तथा बपतिस्मा पाना और उसे जीना जरूरी है, तथा परमेश्वर में और एक दूसरे में पवित्र सहभागिता में मिलने की जरूरत है। मसीह में होने में अन्तर्निहित है कि यद्यपि हमारे बीच मतभेद हैं, परन्तु उनके विविध अर्थ हैः हमारे मतभेद वरदान है– कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बेहतर नहीं है। हमारे मतभेद हमें असमानता की ओर नहीं ले जाते।

लिंग (जेन्डर) का परिप्रेक्ष्य विवेकपूर्ण है और उसका अन्य सामाजिक वर्गों के साथ पारस्परिक सम्बन्ध है। बीच का तरीका अपनाने से यह मान लिया जाता है कि पहचान करने के कुछ पहलू यह भेदभाव करने की जड़ें हैं और जो एक दूसरे से सम्बन्धित है; ऐसे वर्ग है लिंग (जेन्डर), कुल, जनजाति, उम्र, अपंगत्व तथा श्रेणी जिनका व्यक्तिगत तथा ढांचागत स्तरों पर एक दूसरे से परस्पर सम्बन्ध है। यहां असमानताओं की प्रणालियां हैं; इनका अलग से विश्लेषण करने की जरूरत है हालांकि वे प्रभुत्व की धुरियों में एक साथ जुड़े हुए हैं। कुल, वर्ग, जाति और उम्र के आधार पर किए जाने वाले अत्याचार की सच्चाई से निपटने के लिये अन्य साधन भी मददगार है, और यह लिंग (जेन्डर) मसलों के सम्बन्ध में परस्पर बातचीत में तथा उसके मध्य में है जिसे कोई संस्था पहल लेने की जिम्मेदारी उठा सकती जिससे रूपान्तरण आ सकता है।

मानवी सम्बन्ध तथा मानवी ढांचें, पद्धतियों और समितियों द्वारा निर्धारित है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सब को न्याय मिल रहा है। वैश्विक तथा आंतरराष्ट्रीय समितियां, जैसे यूनायटेड नेशन्स, एक वैश्विक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है जिससे राष्ट्रों तथा लोगों के समूहों को नियंत्रण में रखा जा सके। लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन लिंग न्याय की नीति (जेन्डर जस्टीस) में, न्याय को इस परिकल्पना के साथ आचरण में लाने के इस तरीके को मान्यता प्राप्त है। विश्वास पर आधारित संस्थाओं और कलीसियाओं के बीच न्याय की परिकल्पना का सम्बन्ध बाइबल तथा धर्मशास्त्रीय समझ के साथ है। न्याय को बाइबलीय, नबियों की वाणी और धर्मशास्त्रीय भाषा में परिभाषित किया जाता है। यह समझ, संदर्भ के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण तरीका प्रदान करता है और इसका उद्देश्य वास्तविकता का विश्लेषण करना है उन साधनों के साथ जो मानव अधिकार प्ररिप्रेक्ष्यों और धर्मशास्त्रीय परिकल्पनाओं के साथ सम्पर्क में हैं।

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन लिंग न्याय की नीति, सिद्धान्त और तरीकें, उपरोक्त दी गई वचनबद्धता को को लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) के क्षेत्र में पूरा करने का एक प्रयास है, तथा स्त्रियों और पुरूषों को समर्थ

5 लूथरन वर्ल्ड फेडरेशन रणनीति, 2012 –2017,9 at www.lutheranworld.org/content/core-lwf-documents

बनाना ताकि सभी गतिविधियों तथा ढांचों में सभी लिंगों को मुख्यप्रवाह में शामिल किया जा सके।

मापदण्डः लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) के लिये जब मापदण्ड निर्धारित किया जाता है, तो एक गर्भीय सवाल है जिसका हमें जवाब देना है, वह ये है, लिंग भेद के कारण अत्याचार और भेदभाव सह रहे लोगों को किन बातों की जरूरत है?

नीचे दिए गए कुछ मापदण्डों का, लिंग न्याय के प्रति रवैये या संस्थानिक ढांचों में आए सर्वसाधारण बदलाव को नापने के लिये सामान्य संकेतकों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

कोई हानि नहीं का तरीकाः कोई भी हिंसा, क्षमता या जीवन की हानि– सामाजिक या धार्मिक विशेषाधिकारों के बिना, जिस प्रकार से समूह द्वारा परिभाषित किया गया है।

संकेतकों को परिभाषित करोः स्त्रियों और पुरूषों द्वारा बराबरी में (संख्या) भाग लेना; बराबरी में भाग लेने की सम्बद्धता (गुणवत्ता)।

बराबरी में भाग लेनाः अगुवाई करने तथा निर्णय लेने में– मात्रा और गुणवत्ता में।

बराबरी में पहुँच तथा संसाधनों का उपयोग।

यू.एन. का तथा मानव अधिकार स्तर तथा समझौतों का उपयोग।

इस नीति में समाविष्ट लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) के सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिये हर एक संदर्भ में, विशिष्ट सूचकों, सच्चाइयों, आंकड़ों, मतों या प्रत्यक्ष ज्ञान को संदर्भ से संम्बन्धित कार्य की योजनाओं में बदलाव या प्रगति को दर्शाने के लिये परिभाषित किया जाना चाहिए।

लक्ष्य

लूथरन वर्ल्ड लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की नीति राजनीतिक अभिप्रायों और साधनों को मुहैया करान की कोशिश करती है, जिससे लिंग न्याय को प्रोत्साहन मिलता है ताकि संमिलित करने वाले तथा कायम रखने वाले समुदायों एवं कलीसियाओं को प्राप्त किया जा सके।

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन लिंग न्याय की नीति, लिंग न्याय को प्राप्त करने के लिए, सहभागिता तथा उसके सदस्य कलीसियाओं, कलीसिया के सदस्यों, समूहों और संस्थाओं को संदर्भ से संम्बन्धित कदम उठाने के लिये जो न्याय और प्रतिष्ठा को बढ़ावा देते हैं, एक सहायक की भूमिका निभाती है।

उद्देश्यः लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की नीति की आवश्यकता क्यों है?

इसका उद्देश्य है कि इससे रचनात्क प्रेरणाओं को उत्पन्न किया जाए, उदाहरण के लिये जो सामाजिक परिस्थितियों, मानकों, मूल्यों और अधिकार के सम्बन्धों में बदलाव लाने के लिये सहायता करते हो, साथ ही साथ लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) प्राप्त करने के लिये नये कार्य करने के लिये मदद करते हो। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की नीति को अपनाने से सदस्य कलीसियाओं तथा सहभागिता के कार्यालयों को निम्न दिए गए कार्य करने में मदद मिलेगीः

पहचानने मेंः कार्यान्वित करने के लिये इस नीति को उसके दिशानिर्देशों के साथ लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) के प्रति सहभागिता की वचनबद्धता को पहचानने में।

शामिल होनाः एक दूसरे का सहयोग करते हुए कलीसियाओं के लिये सम्पत्ति और चुनौतियों का आत्म मूल्यांकन करने में शामिल होना, जब वे लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) प्राप्त करने के लिये प्रयासरत हैं।

विश्लेषण: पुरूषों एवं स्त्रियों का कलीसिया के जीवनचर्या में भाग लेने का विश्लेषण करना, कि निर्णय लेने के स्तर पर उनका कितना योगादान रहा तथा क्या धर्मशास्त्र की शिक्षा या संघटन तक उनकी कितनी पहुँच है और इन क्षेत्रों में देखी जाने वाली संभावित असमानता को दूर करना।

प्रोत्साहन देना: पुरूषों और स्त्रियों को प्रोत्साहित करना कि वे परम्परागत रीति से समाज में जो भूमिका निभाते आ रहे हैं, उस पर चर्चा करे और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, और कलीसिया और समाज में परम्परागत एवं सांस्कृतिक रीति से जो कार्य करने के लिये दिए जाते थे, उनसे आगे बढ़ें ताकि ऐसे लोग जो अन्य पदों पर काम करने के लिये तैयार हैं और जिनके पास प्रतिभा भी है, वे कलीसिया तथा समाज की गतिशीलता को और मजबूत बना सकें।

प्रोत्साहन देना: कलीसिया में विद्यमान नेतृत्व को प्रोत्साहित करना कि वे पवित्र पाठ्यों की व्याख्या पर चर्चा करें और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें जो उन पाठ्यों को एक दूसरा अर्थ प्रदान करता है, और जरूरत पड़े तो, जब पुरूषों और स्त्रियों की भूमिका और जिम्मेदारियों की बात आती है तो एक नई व्याख्या करें। कलीसिया के अगुवों के पास अवसर है कि वे धार्मिक तथा लौकिक अगुवों के साथ मिलकर लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) का समर्थन करने पर कार्य करें।

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन सहभागिता के लिये नीति का क्या अर्थ है?

नीति, यह मूल्यों की एक अभिव्यक्ति है, एक दर्शन है जो लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) को वास्तविक बनाने के लिये समझ प्रदान करती है तथा दिशा दिखलाती है।

सहभागिता के अन्तर्गत राजनीति से सम्बन्ध रखने के अलग–अलग स्तर है। सदस्य कलीसियाओं की बात करें तो, सहभागिता की संरचना कुछ इस प्रकार की है कि महासभा और सभा में लिये गए निर्णय आपसी संगती और उत्तरदायित्व पर आधारित होते हैं।

संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन अपने स्वतंत्र सदस्य कलीसियाओं का एक साधन है और उसमें अधिकार परम्परा का अस्तित्व नहीं है।

स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारियां आती है। इसलिये, संविधान का तीसरा नियम, स्वरूप और कार्य में कहा गया है कि सदस्य कलीसियाएं "परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के प्रति सहमत है तथा प्रवचन मंच एवं वेदी की सहभागिता में एकजुट है।" इस के अतिरिक्त, लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन,

> यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रति एक संयुक्त गवाही को बढ़ावा देता है....
>
> इस के अतिरिक्त विश्व भर की सदस्य कलीसियाओं के बीच डायकोनिक कार्य के बीच, मानवी जरूरतों को कम करना, शान्ति और मानव अधिकार को बढ़ावा देना, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय देना, परमेश्वर की सृष्टि की देखभाल तथा संसाधनों को आपस में बांटने को बढ़ावा देता है।
>
> इस के अतिरिक्त, परस्पर सहकारिता अध्ययन के माध्यम से सदस्य कलीसियाओं द्वारा स्वयं को समझना और सहभागिता को बढ़ावा देता है।[6]

तो ऐसे में नीति, लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन का एक मार्ग हो सकता है जिसके माध्यम से वह अपनी सदस्य कलीसियाओं की संयुक्त गवाही, उनके द्वारा मानव अधिकार तथा न्याय को प्रोत्साहन देने और उनके स्वयं को समझने को अभिव्यक्त करता है । अलग–अलग स्तरों में या उत्तरदायित्व के अलग–अलग क्षेत्रों में अपने आप को अधिक स्पष्ट रीति से अभिव्यक्त करने का उनका एक मार्ग है कि एक सहभागिता होने के पीछे उनका क्या अर्थ है।

6 At www.lutheranworld. org/content/core-lwf-documents

महासभा के संकल्प

वर्ष 2013 की उनकी महासभा में उन्होंने चुनाव किया कि:

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की नीति (सिद्धान्तों को) और उसके सूझावों को सहभागिता के सभी स्तरों पर उनके लिंग न्याय के प्रति समर्पण को कार्यान्वित करने के लिये एक ढांचे के रूप में अपनाया जाए;

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की नीति की पद्धतियों को स्वीकारना और क्षेत्रीय अभिव्यक्तियों तथा सदस्य कलीसियाओं के माध्यम से उनको कार्यान्वित करने की सिफारिश करना, इस अपेक्षा के साथ कि स्थानीय संदर्भों को ध्यान में रखते हुए उन पद्धतियों को अपनाया जाए।

जनरल सेक्रेटरी को निवेदन करना कि सहभागिता में लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की नीति के कार्यान्वयन की प्रगति पर महासभा को एक रपट प्रस्तुत करें।

उत्तरदायित्व के स्तर

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन के संविधान की बिसात पर, नीति को कार्यान्वित करने में नीचे दिए गए स्तर अन्तर्निहित हैं:

सभा, महासभा तथा अधिकारियों की सभा

- नीति का उपयोग, एक सामान्य दिशा दिखाने और सहभागिता के कार्यालय को सुनियोजित करने के लिये करेंगे, प्रशासनिक समितियां स्त्रियों तथा पुरूषों के लिये इन नीतियों के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिये उत्तरदायी है साथ ही यह निश्चित करते हुए कि संस्थानिक ढांचा तथा कार्यक्रमों के माध्यम से किए जाने वाले कार्य, लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) के सिद्धान्तों के अन्तर्गत ही है।

सहभागिता का कार्यालय, उसके कार्यक्रम तथा योजनाएं और साथ ही लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन के देशज कार्यक्रम

- कार्य का विकास और मूल्यांकन करने के लिये जहां कहीं भी संभव हो, नीति को लागू करना चाहिए। नीति को कार्य करने के लिये लागू करने में, जागुरूकता तथा प्रतिभाओं को बढ़ाने, संगती प्रदान करने तथा प्रक्रिया को सुकर बनाने जो लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की दिशा में आगे ले जाते है, के प्रति समर्पण शामिल है। लिंग विश्लेषण के प्रति संस्था की क्रियाविधियों और समर्पण का, तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि उनके कार्यों एवं कर्मचारीगणों में लिंग (जेन्डर) समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिये पर्याप्त प्रणालियां और उपाय योजनाएं व्यवस्थित है इसका योजनाबद्ध रीति से पुनःनिरिक्षण करने के लिये प्रबंध का होना आवश्यक है।

सदस्य कलीसियाएं

- सभाओं तथा महासभाओं के स्तर पर लिये गए निर्णयों एवं संकल्पों को कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं, इसे निश्चित करती हैं और आपसी जिम्मेदारी लेते हुए लिंग नीति के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए किए गए कार्य पर गौर करने में एक दूसरे को सहारा एवं संगती प्रदान करना।

प्रत्येक सदस्य कलीसिया की स्वायत्तता का उसके संदर्भ और वास्तविकता में सम्मान किया जाता है; कलीसियाओं ने पारस्परिक निर्भरता और आपसी उत्तरदायित्व में एक

दूसरे के साथ चलने के विकल्प को अपनाया है। इन निर्णयों तथा संकल्पों का अनुवर्तन करने और साथ ही इसे अनुकूल बनाने और संदर्भ से सम्बन्ध स्थापित करने की जरूरत पड़ती है।

क्षेत्रीय अभिव्यक्तियाँ

- लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की नीति को भिन्न संदर्भ विषयक वार्तालाप और अनुभवों के द्वारा संदर्भ से संम्बन्धित बनाने के अवसर प्रदान करती हैं।

क्षेत्र ऐसे मंच उपलब्ध कराते हैं जहां सहमति प्राप्त ढांचे, साधनों और प्रद्धतियों के माध्यम से पारस्परिक संगती तथा उत्तरदायित्व को व्यक्त किया जा सकता है। वे यह निश्चित करने के लिये अवसर देते हैं ताकि भिन्न संदर्भ विषयक अनुभवों के द्वारा स्थानीय तरीकों को और भी समृद्ध बनाया जा सके।

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन लिंग न्याय की नीति के सिद्धान्त

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन, कलीसियाओं की एक ऐसी सहभागिता है जो समर्पित है:

1. लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) को एक धर्मशास्त्रीय आधार के रूप में बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है जिससे समस्त मानवजाति को प्रतिष्ठा और न्याय दिलाया जा सके, साथ ही लिंग (जेन्डर) समानता यह विश्व भर में मान्यता प्राप्त मानव अधिकार होने को बढ़ावा देने के लिये।

2. प्रतिष्ठा और न्याय के मूल्यों, सबका शामिल होना तथा भाग लेना, पारस्परिक उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना जो सभी लोगों के वरदानों के प्रति सम्मान व्यक्त करती हो।

3. सबको सम्मिलित करने तथा लिंग (जेन्डर) और पीढ़ीगत संतुलन से सम्बन्धित लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन सभा एवं महासभा के निर्णयों को क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्मर पर लागू करना, इस बात को सुरक्षित करते हुए कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के सभी स्तरों पर पुरूषों तथा स्त्रियों का समान सहभाग हो।

4. सभी मानवतावादी और विकास कार्यों में लिंग विश्लेषण को सुरक्षित करना तथा न्याय और सबको शामिल करने के आदर्श को मजबूती दिलाने के लिये लिंग समानता के मसले को जानबूझकर सम्बोधित करना। इस कारण से लिंग समानता पर सभी विकास प्रणालियों के प्रभाव को पहचानना और उसका विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है।

5. सम्पत्ति के बंटवारे में असमानता और परस्पर विरोध को समाप्त करने के लिए तथा लिंग सम्बन्धित हिंसा पर रोक लगाने तथा उसका विरोध करने के लिए, स्त्री को समर्थ बनाने को एक मुख्य रणनीति के रूप में समर्थन करना।

6. सक्रियता से ऐसे पुरूषों को शामिल करने को बढ़ावा देना जो रूपान्तरित पुरूषत्व के नमूनों को दर्शातें हैं और जो लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) के लिए कार्य कर रहे हैं।

7. सर्वांगी तथा ढांचागत प्रथाओं से निपटना जो स्त्रियों द्वारा नेतृत्व तथा निर्णय लेने के स्तर पर पूर्ण रीति से सहभागी होने में बाधा उत्पन्न करते हैं

8. इस बात को निश्चित करना कि मूल संस्थागत नीतियां, तन्त्र, व्यवहार, बजट, मानव संसाधन प्रबंधन, कर्मचारी नियुक्ति, प्रतिनिधित्व, प्रशिक्षण, प्रबन्धन और निर्णय लेने वाली समीतियां लिंगों (जेन्डर) का संतुलन बनाए रखती है और जो पुरूषों तथा स्त्रियों के समान सहभाग का समर्थन करती है।

9. इस बात को निश्चित करना कि किसी परियोजना के चक्रों के सभी कार्यक्रमों तथा चरणों में: जैसे मूल्यांकन, योजना बनाना, कार्यान्वित करना और संचालन करना, उनमें लिंग (जेन्डर) विश्लेषण का पहलू बना हुआ हो।

10. लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) के परिप्रेक्ष्य में सिद्धान्त, उपासना पद्धति तथा भक्तिमय जीवन के सभी पहलूओं को शामिल करना।

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की नीति की पद्धति

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की नीति की पद्धति, लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) को समझने की प्रक्रिया को चालना देती है।

लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) पर अभिव्यक्त किए गए विचारों के लिये एक शिक्षाप्रणित प्रक्रिया अपनाने के लिये जो दिशानिर्देश दिए गए है वह तीहरे पद्धतियों पर आधारित है, और वे है: देखना, परखना, और कार्य करना। नीति वचनबद्धता को संदर्भों से सम्बन्ध स्थापित करने के लिये एक मार्गदर्शिका के रूप में उसका खाका तैयार किया गया है। सहभागिता के सभी अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इस पद्धतिपूर्ण प्रक्रिया के साथ परस्पर सम्बन्ध स्थापित करे, तथा इन मूलभूत परिकल्पनाओं को अनुकूल बनाते हुए उनके संदर्भों तथा भाषाओं की ओर ले आए।

- देखना: देखने का अर्थ है निरीक्षण करना और हर एक वास्तविकता और संदर्भ को पढ़ना या समझना।
- परखना / पहचाननाः इसका अर्थ है कि बाइबलीय, धर्मशास्त्रीय तथा विश्व द्वारा मान्यता प्राप्त मानव अधिकार की धारणाओं का उपयोग इस वास्तविकता को तथा इस धारणा से उभरने वाले मुख्य मसलों को पहचानने के लिये करना।
- कार्य करना: का अर्थ है व्यवहार में लाना। वास्तविकता को पढ़ने या समझने और पहचानने के पश्चात उन विशिष्ट संदर्भों के सम्बन्ध में किए जाने वाले कार्यों पर सहमति प्राप्त करना।

देखना: सबकों संम्मिलित करने के मार्ग पर सहभागिता किस बिन्दु पर खड़ी है? यह पहला भाग वह शुरुआती बिन्दु उपलब्ध कराता है कि स्त्रियों की भागीदारी तथा

लिंग (जेन्डर) मूल्यांकन के सम्बन्ध में हम कहां खड़े हैं। सहभागिता में स्त्रियों द्वारा भाग लेना और इसके अन्तर्गत किस प्रकार से लिंग (जेन्डर) एक धर्मशास्त्रीय साधन बन रहा है, इसकी कहानी बयान करता है। वास्तविकता की ओर ध्यान देना तथा लिंग (जेन्डर) से सम्बन्धित और विशेषकर स्त्रियों को जिन रूकावटों का सामना करना पड़ता है, के सम्बन्ध में सहभागिता में उठ रही भिन्न–भिन्न आवाजों को ध्यानपूर्वक सुनना, इसका भी प्रस्ताव, लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन की लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की नीति को कार्यान्वित करने के पहले कदम के रूप में दिया गया है। लिंग (जेन्डर) के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और नीतियों को बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत शून्य से नहीं होती; बल्कि यह विभिन्न समूहों, समुदायों और रूची रखने वाले व्यक्तियों की "जानकारियों" के आधार पर बनाई जाती है।

परखना / पहचाननाः बाइबलीय तथा धर्मशास्त्रीय आधार। लूथरन सहभागिता के लिये लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) एक चिंता का विषय क्यों है? इस सहभागिता में, बाइबल और लूथरन की परम्परा एक चष्मा है जिसके माध्यम से विश्वास के परिप्रेक्ष्य में लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) को देखा जाता है। विश्वास की इस भाषा में, लिंग (जेन्डर) समानता को लिंग न्याय की दृष्टि से देखा जाता है। न्याय वह आरम्भिक बिन्दु है जहां से समान सम्बन्धों की चर्चा की जाती है। न्याय, एक भविष्यसूचक घोषणा तथा एक आधार है जिस पर रूपान्तरण लाना है और सभी की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना है। न्याय के प्रति बाइबल की धारणा धर्मशास्त्र की चर्चा में व्याप्त है और इस संपूर्ण अनुच्छेद को उजागर करता है। लूथरन की पहचान में धर्मशास्त्र की मौलिक धारणाओं का लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) के चष्में से मूल्यांकन किया जाता है। इस विचार विमर्श से लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की नीति का एक धर्मशास्त्रीय तरीका उभर कर आता है।

कार्य करनाः कार्यान्वित करना तथा संदर्भ से सम्बन्ध स्थापित करना। यह तीसरा भाग, कार्यान्वित करने के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों एवं मार्गदर्शन की रूपरेखा प्रदान करता है। लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) प्राप्त करने के लिये सात बिन्दुओं के साथ एक मार्ग विकसित करता है– मूल्यों तथा समर्पण के प्रति प्रस्तावना और उसके पश्चात कार्यान्वित करने के लिये रणनीतियों की एक सूची। लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की नीति को एक सहभाग की प्रक्रिया के रूप में समझा गया है कि वह लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) को व्यक्त करें तथा उस पर कार्य करें, इस उद्देश्य के साथ कि एक इस प्रकार की स्पष्ट और सजीव नीति हो जिसका प्रसंगों या संदर्भों से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है तथा जिसे अलग–अलग क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा सकता है। सात भौगोलिक प्रदेशों में 142 सदस्य कलीसियाओं के साथ (एशिया, अफ्रीका, नॉर्डिक, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, उत्तर अमेरिका और लॅटिन अमेरिका तथा कैरिबीयन), सहभागिता का संदर्भ एक अत्यंत जटिल संदर्भ है। इस बिन्दु पर एक मसला यह है कि सहभागिता में सर्वत्र जिस प्रकार से अनेक भाषाओं का अनुभव लिया जाता है, जबकि सहभागिता के कार्यालय का कामकाज केवल अंग्रेजी, फ्रेन्च, जर्मन और स्पैनीश भाषा में किया जाता है। इस समृद्ध विविधता को लिखित रूप में बयान करना बहुत मुश्किल है और दलीलों को इस रीति से व्यक्त करना कि वह एक न्योता बन जाता है कि चर्चा को जारी रखा जाए तथा अलग–अलग वास्तविकताओं में संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उसमें शामिल हो और उसके प्रति एक खुला रवैया अपनाए। हम एक पाठ्य के ढांचे को कैसे तैयार कर सकते हैं कि जो अधिक चर्चा किए जाने को प्रोत्साहन दें और जो रूपान्तरण कि ओर ले जाए?

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की नीति एक निमंत्रण है कि कलीसिया, समाज और जीवन के सम्बन्धों तथा ढांचों में बदलाव के आंदोलनों में शामिल हो। इस समझ के साथ कि सर्वप्रथम, जीवन

का स्थान है, यह पद्धतिपूर्ण चौखट, नीति में परिभाषित कुछ सिद्धान्तों का किस प्रकार से संदर्भ से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है, उसके प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। इसलिये, वास्तविकता के मूल्यांकन से शुरुआत करते हुए, जिसमें कोई शामिल हो चुका है और सवाल पूछ रहा है तथा समझबूझ कर संदर्भों का अध्ययन कर रहा है, यह शुरुआती चरण है; इसके पश्चात वार्तालाप में धर्मशास्त्रीय प्रतिक्रिया की बारी आती है जिसमें मानव अधिकार का दृष्टिकोण तथा विकास, संरचना और सांस्कृतिक परम्परा के नमूनों का बारीकी से मूल्यांकन करने की बात आती है। केवल विश्लेषण करना काफी नहीं है, उसे व्यवहार में लाना, विचारों और मूल्यों को सजीव बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिये, कार्यान्वित करना और उपलब्धियां, यह अपेक्षित तथा जरूरी अन्तिम परिणाम है।

जहां कहीं सहभागिता सक्रियता से कार्य कर रही है, उन अलग–अलग संस्कृतियों के संदर्भों से सम्बन्ध स्थापित करना, अब भी एक चुनौती बनी हुई है। संस्कृति को परिभाषित किए जाने के बावजूद, कि संस्कृति जानकारी की प्रणालियां हैं, जो लोगों के किसी समूह को आचरण, विश्वास, मूल्यों और प्रतीकों के माध्यम से बांधे रखता है, जिनका उन्होंने स्वीकार किया है, आपस में बांटा है; ऐसा माना गया है कि यह विचार गतिहीन नहीं बल्कि गतिशील है। इसलिये, संदर्भ से सम्बन्ध स्थापित करने की प्रक्रिया में, सांस्कृतिक अवयवों को तथा गतिशीलता को ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसा करने से प्रत्येक संदर्भ, इस विशिष्ट वातावरण में कौन से कार्यों को प्राथमिकता देने की जरूतर है, इसे बयान करेगा। एक वास्तविकता एक अन्य वास्तविकता पर हावी नहीं हो सकती और यह नहीं बता सकती कि क्या करना महत्वपूर्ण है; लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) को उपलब्ध करने के लिये, कलीसिया और समाज के सभी क्षेत्रों में पारस्परिक अध्ययन और बांटने से ठोस कदम उठाने में मदद मिलेगी।

यह नीति उन लोगों के जीवन में क्या रूपान्तरण ले आ रही है, जो लोग इसे व्यक्त करने तथा इस पर कार्य करने में जुटे हुए हैं? इस प्रक्रिया के साथ चलने वाला यह एक मूल सवाल है।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं जो बात उतनी ही महत्वपूर्ण है कि उत्सव मनाओ! एकजुट होने की संभावना पर तथा कलीसिया की विचारधारा और जीवन में निर्णयात्मक बदलाव लाने में समर्थ हो पाए इसलिये उत्सव मनाओ! सहभागिता का उत्सव मनाओ, एक दूसरे के साथ के लिये उत्सव मनाओ, साथ मिलकर प्रार्थना करों और गीत गाओ। एक नये जीवन की शुरुआत करने के लिये बुला रहा है; हाथों में हाथ लिये एक साथ चलते हुए; बदलने के लिये एक नया समय परिपक्व हो गया है, वह समय अब है। आओ मिलकर साथ चले, कोई अकेला नहीं जा सकता, आओ और जुड़ जाओ! (थूमा मीना 221, डियुस चामा अ जेन्टे प्रा उम मोमेन्टो नोवो)

सबको संमिलित करने की अपनी यात्रा में सहभागिता किस मुकाम पर खड़ी है?

महिलाओं द्वारा नेतृत्व और भागीदारी

दशकों से, लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन, अपने धर्मशास्त्रीय तथा व्यावहारिक वचनबद्धताओं की अनुरूपता में लगातार कार्य करते आ रहा है कि सबको संमिलित करने को अपने केन्दीय मूल्यों में से एक मूल्य के रूप में अपनाए।

स्त्रियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये बीते दिनों में लिये गए निर्णयों में इसे देखा जा सकता है:

- 1952 में, हॅनोवर, जर्मनी में लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन की दूसरी सभा के समय, महिलाओं का एक विभाग शामिल किया

गया था और उसे महिलाओं की सहभागिता के रूप में बनाए रखा गया। 1975 में महिलाओं के कार्यालय की प्रथम परामर्शदाता समिति के लिये एक अगुवे की नियुक्ति की गई। महिलाओं का कार्यालय बनाने का निर्णय, 1970 में एवियन, फ्रान्स में लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन की पांचवी सभा के समय लिया गया था।

- 1984 में, बुडापेस्ट, हंगरी में सांतवीं सभा ने महिलाओं तथा साधारण व्यक्तियों द्वारा भाग लेने पर ऐतिहासिक निर्णय लिये गए थे, जिसमें निश्चय किया गया कि एक "कोटा प्रणाली" को स्थापित किया जाए जिसके द्वारा चालीस प्रतिशत महिलाओं का सहभाग निश्चित किया जा सके। आंठवीं (कुरीटिबा, 1990), और नौवीं (वीनीपेग, 2003) की सभाओं में इन समर्पणों की पुनःपुष्टि की गई।

स्त्रियों को दिक्षा देने वाले लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन की सदस्य कलीसियाओं का प्रतिशत

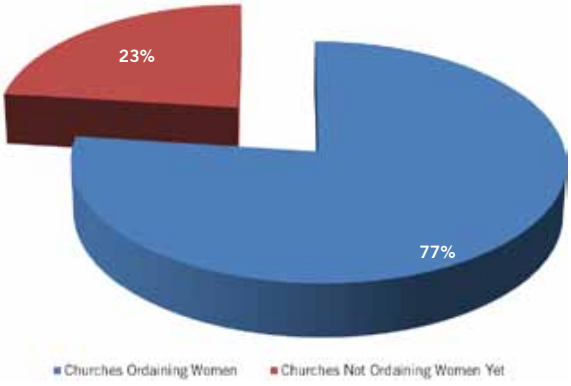

- कलीसियाएं जो स्त्रियों को दिक्षा देती है
- कलीसियाएं जो अब तक स्त्रियों को दिक्षा नहीं देती

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन की सदस्य कलीसियाओं के उन सदस्यों का प्रतिशत जो स्त्रियों को दिक्षा देते हैं

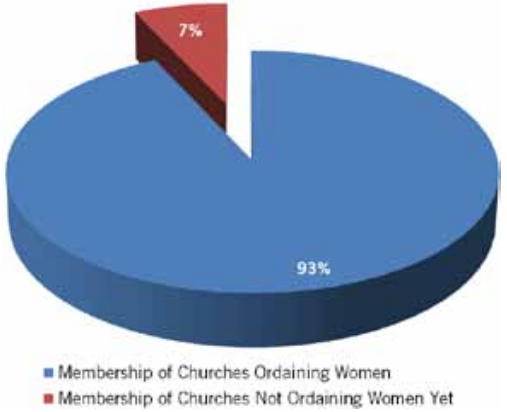

- कलीसियाओं की सदस्यता जो स्त्रियों को दिक्षा देती है
- कलीसियाओं की सदस्यता जो अब तक स्त्रियों को दिक्षा नहीं देती

- सभाएं और महासभाएं, तथा सहभागिता के कार्यालय की निर्णय लेने वाली मुख्य समितियों ने निश्चय किया कि अभिषिक्त सेवकाई में स्त्रियों का वरदान एक पृथक आचरण है जिसे वैश्विक सहभागिता में भी लागू करना चाहिए। इस नियुक्त की गई सेवकाई में साथ जुड़ी स्त्रियों का एक पहलू है धर्मशास्त्रीय अभिव्यक्ति और कलीसियाई निहितार्थ। यह इस बात को दर्शाता है कि कलीसिया किस प्रकार से खुद को समझ पाती है और इस नियुक्त सेवकाई में स्त्रियों की भागीदारी को महत्वपूर्ण मानती है, यद्यपि यह एक सर्वसंमिलित सहभागिता उभारने की दिशा में एक कदम है। सबको संमिलित करने की दिशा में पुरूषों तथा स्त्रियों का निर्णय लेने की समितियों में पूर्ण सहभाग, यह एक और महत्वपूर्ण कदम है। लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन "एक्लेसिया सेम्पर रिफॉर्माडा"

को सम्मिलित करता है, यह धारणा है– अनेक मार्गों से लगातार सुधारना होते रहने की प्रक्रिया में।

सहभागिता में विचारशील तथा ठोस निर्णयों के आधार पर कई सकारात्मक प्रयास किए गए और बदलाव भी लाए गए जो स्त्रियों की पूर्ण भागीदारी का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिये, लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन के संस्थागत ढांचों जैसे सभाओं तथा महासभाओं के अन्तर्गत नेतृत्व का समान बंटवारा की कोटा प्रणालियों का समर्थन किया जाता है तथा इसे प्रोत्साहित भी किया जाता है। कोटा का इस्तेमाल, यह ढांचागत रचना है जिसका खाका इसलिये तैयार किया गया है कि यह उन व्यावहारिक बाधाओं को विरोध करें जिनका सामना स्त्रियों को विभिन्न स्तरों तथा पदों तक पहुँच पाने के अपने प्रयासों में करना पड़ता है। लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन से सम्बन्धित महिलाओं के समूह के माध्यम से, महिलाएं एवं लड़कियाँ अपने पड़ोसियों को समाज कल्याण के प्रति योगदान के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। यद्यपि, कलीसिया ने अब तक उन मार्गों को संम्बोधित नहीं किया है जिनमें यह लिंग प्रणालियां और परस्पर सम्बन्ध कुछ लोगों के लिये सुविधा उत्पन्न करते हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग दमन का शिकार होते हैं जिससे हमारे कलीसिया तथा समाज के साझा जीवन पर असर होता है।

हालांकि कोटा प्रणाली, महिलाओं की उपस्थिति को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, फिर भी पूर्ण भागीदारी के मार्ग में निरंतर गंभीर बाधाएं आती रहती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सभाओं में वैश्विक रूप से लिये गए निर्णयों के बीच तथा स्थानीय स्तर पर क्या हो रहा है, इसमें कुछ विसंगतियां हैं। केवल कोटा को पूर्ण करना ही पर्याप्त नहीं है। हालांकि कोटा पूर्ण करने से स्त्रियों की उपस्थिति निश्चित जरूर होती है, परन्तु जरूरी नहीं कि उससे उनका सहयोग भी निश्चित होता है। पूर्व सभाओं की वचनबद्धताओं के प्रति विश्वासयोग्य बने रहने के लिये तथा सबको सम्मिलित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, जो ताकत स्त्रियां और युवा ले आते हैं उसके द्वारा एक कलीसिया होने के नाते और एक वैश्विक सहभागिता होने के नाते हमें रूपांन्तरित होने की अत्यंत जरूरत है।

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन सहभागिता के जीवन की उपलब्धियों में से एक वह भविष्यसूचक आवाज थी जिसे इस प्रकार से व्यक्त किया गया कि, "कलीसियाओं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को 'न' कहो";[7] जो कबूल करता है कि कलीसिया के बीच हिंसा होती है और उन उपायों पर विचार किया जाता है जो इस तरह की हिंसा से लड़ने के लिये किए जाते हैं।

स्त्रियों के विरूद्ध हिंसा को रोकने तथा उस पर मात करने के प्रति कलीसियाओं तथा कलीसियाओं से सम्बन्धित संस्थाओं के कार्य अन्याय का विरोध की नीति पर आधारित है। कलीसिया का आचरण, धर्मशास्त्रीय अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म के उस महत्वपूर्ण तरीके का हिस्सा है, जो धर्म और संस्कृति के बीच बार बार हो रहे खतरनाक सम्बन्ध को विखण्डित कर सकता है जो स्त्रियों को निजी क्षेत्रों में ढकेल देता है जहां बार–बार हिंसा की घटना होती रहती हैं। लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन की कार्य–योजना, 'कलीसियाओं, स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा को न कहो' की अभिव्यक्ति से तथा उसे कार्यान्वित करने से जो अनुभव प्राप्त हुआ है, स्पष्ट रुप से दर्शाता है हिंसा पर विजय प्राप्त करने के प्रयासों में, विश्वास एक निर्णायक तत्व है जिसपर विचार करने की जरूरत है। मसीही पेशे का एक पहलू ये है कि उस चीज़ को उसी नाम से पुकारे जो वास्तव में वह है। इसलिये यह महत्वपूर्ण है कि सहभागिता ने सार्वजनिक रुप से यह ऐलान कर दिया कि स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा, यह पाप है, तथा कलीसियाओं को एक सुरक्षित जगह बनने की जरूरत है।

7 At www.lutheranworld.org/content/resources-churches-say-no-voilence-against-women-action-plan-churches

लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की राह पर सहभागिता

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन अपने संस्थानिक स्तर पर तथा ढांचागत स्तर पर लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) उपलब्ध करने के प्रति अपनी वचनबद्धता को पूर्ण करने के लिये तथा उसे सहारा देने के लिये लगातार उपायों को विकसित करने में जुटा हुआ है:

- 1997 में, हाँगकाँग में अपनी नौवीं सभा के दौरान, सहभागिता के मूल कार्यों में लिंग समानता के प्रति वचनबद्धता को पहचाना गया: धर्मशास्त्र तथा बाइबल पर आधारित विश्वास के परिप्रेक्ष्य में लिंग (जेन्डर) तथा अधिकार पर एक न्याय और परस्पर सम्बन्धित विषय होने के रुप में बोलना और लिंग (जेन्डर) तथा अधिकार को एक नेतृत्व का विषय होने के रुप में सम्बोधित करना।
- 2003 में, विनिपेग, कैनडा में दसवीं सभा के दौरान, पूर्ववर्ती वर्षों के अनेक विषयों, जिस पर चर्चा की गई थी तथा निर्णय लिये गये थे, उन्हीं पर ध्यान केन्द्रित किया गया तथा कलीसिया और समाज के जीवन में स्त्रियों तथा युवाओं के पूर्ण सम्मिलित होने को प्रोत्साहन देने की बात को सुस्पष्ट रीति से पुष्टि दी गई।

- कलीसियाओं के डायकोनल अनुभव दर्शातें हैं कि धर्मशास्त्रीय अभिव्यक्तियां तब सम्बद्ध हो जाती है जब पड़ोसियों के लिये उसमें गहरी और भावपूर्ण परवाह जुड़ी होती है। यह उनके कार्य का ही भाग है कि कलीसिया स्वयं को लोगों के बीच खड़ा करते हुए, सुनती है, देखती है, स्पर्श करती है, पहचानती है और उनका साथ देती है जो कष्टों में है और जिन पर अत्याचार किया जा रहा है। लोगों के साथ इस प्रकार से सक्रियता के साथ घुलमिल जाने से और अपने प्रगाढ़ विश्वास के खजाने से अन्तर्दृष्टि प्रदान करने से कलीसियाएं नागरिक बन जाती है या नागरिकत्व अपनाती है। कलीसिया का नागरिकत्व, उसके धर्मशास्त्रीय पहचान का एक हिस्सा है; वह मार्ग कि जिससे कलीसिया स्वयं को पहचानती है कि वह सृष्टि और समस्त मानवजाति की दिशा में परमेश्वर के अनंतकालिक और स्थायी आंदोलन का एक हिस्सा है। मिशन संम्बन्धी स्वयं की समझ का यह एक हिस्सा है कि हमें संसार में भेजा गया है, और यह मौका परमेश्वर की अनुग्रहकारी पहल के कारण हमें मिला है कि उसने हमे अस्पृश्यता के क्षेत्र से बाहर निकाला और गहरी अनुकम्पा के साथ संसार की खुशियां और कष्ट, दुःखों और आशा में प्रवेश करवाया।

- मिशन की यही वो समझ है जिसके साथ लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन समस्त मानवजाति के पूर्ण अधिकारों और समानता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करता है, और फलस्वरूप स्त्रियों के नेतृत्व और पूर्ण सहभाग को बढ़ावा देने में शामिल है। इस डायकोनल तरीके का अनुभव से लेकर तो गरीबों तथा अत्याचार किए गए लोगों के अधिकारों का समर्थन करने से सभी स्तरों तथा सभी सम्बन्धों में, विशेषकर लिंग के सम्बन्ध में, न्याय की धारणात्मक समझ के लिये व्यावहारिक आधार प्रदान करता है।

- 2009 में, लिंग और अधिकार पर अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को सुनियोजित किया गया और दस्तावेज प्रकाशित किए गए, *"ऐसा तुम्हारे बीच नहीं होगा" लिंग और अधिकार पर एक विश्वास की अभिव्यक्ति* जिसे महासभा द्वारा स्वीकार किया गया। लिंग मूल्यांकन पर धर्मशास्त्रीय अभिव्यक्ति का यह एक और उदाहरण है और उस बात को आधार प्रदान करता है जिस पर नीति को विकसित किया जाता है।

- इसके अतिरिक्त, लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन, कलीसियाओं की सहभागिता होने के नाते, उन्होंने लिंग न्याय की नीति को अपनाने के प्रति अपनी वचनबद्धता को सदस्य कलीसियाओं के अनुभवों तथा शामिल होने पर आधारित रखा है, जो कार्य सदस्य कलीसियाओ ने मानव अधिकार को बढ़ावा देने के लिये किए हैं। कलीसियाओं तथा कलीसियाओं से संलग्न संस्थाओं की लिंग नीतियां, सहभागिता–प्रशस्त नीति को विकसित करने का आधार साबित हुई हैं–यह एक सर्पिल आंदोलन है। अनुभवों को इकट्ठा करके सहभागिता के स्तर पर उन्हें सुनियोजित किया जाता है। सहभागिता के लिये यह नवीनीकरण इन सहमतियों तथा अनुभवों पर आधारित है।

इन पहलों तथा प्रक्रियाओं से जो सबक सीखे गए वे सभी स्तरों पर है– सदस्य कलीसियाओं, कार्यालयों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं– सहभागित के सामने चुनौती है कि वह इसे और अधिक व्यापक रीति से अभिव्यक्त करें जो धर्मशास्त्रीय धारणाओं पर आधारित हो कि कैसे उन मार्गों से निपटा जा सकता है जिसमें सुविधाओं और अत्याचार की प्रणालियां, जो सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधारों पर टिकी हुई है, स्त्रियों के नेतृत्व के पदों पर अपना असर दिखाती है। यह "स्त्रियों को मेज तक ले आना है" (उपस्थिति) की धारणा से आगे तथा परे जाना है तथा "मेज पर स्त्रियों तथा पुरूषों के लिये समान स्थितियां" (पूर्ण सहभाग) की ओर जाना है।

बाइबलीय तथा धर्मशास्त्रीय आधार: लूथरन सहभागिता के लिये लिंग न्याय एक चिन्ता का विषय क्यों है?

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन सहभागिता में लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की नीति को विकसित करना और अपनाना, यह सर्वव्याप्त मिशन, संसार में परमेश्वर के अनुग्रह का मूर्तरूप है, इस धारणा से समझना, इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लूथरन का धर्म–सिद्धान्त साधनों के हिसाब से समृद्ध है कि वह लिंग न्याय के प्रति सहभागिता की समझ को और पारस्परिक उत्तरदायित्व को और गहन कर सके कि वह विश्वास का एक कार्य है।

संदर्भ से सम्बन्ध स्थापित करना, यह लूथरन धर्म सिद्धान्त की एक विशेषता है। लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन में इसका निहितार्थ निरंतर चल रहा क्षेत्रीय वार्तालाप है। लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन रणनीति 2012–2017 के अनुसार, सहभागिता के सम्बन्ध एक दूसरे पर निर्भर है। यहां निर्णय लेने के तथा कार्यान्वित करने के अनेक केन्द्र है। सहभागिता का हिस्सा होने से सदस्य कलीसियाओं को समर्थ बनाने में मदद मिलती है कि वह भाग ले नेटवर्क के माध्यम से सहभागिता के जीवन को आकार दे जो उन्हें प्रादेशिक तथा वैश्विक रूप से जोड़ती तथा एकत्र लाती है। उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाने की जरूरत है और वह कई प्रकार के साझा सामनों, आपसी चुनौतियों तथा पारस्परिक सीखने के अवसर प्रदान करती है।[8]

इन सभी केन्द्रों के लिये लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस), दिशा दिखाने वाला तथा आपस में वार्तालाप करने का बिन्दु है।

समानता एवं न्याय की बाइबलीय तसवीर, लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन सहभागिता की लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की समझ के बाइबलीय आधार के रूप में इस नीति के शुरुआत में प्रस्तुत की गई है। मानवजाति को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है– नर और नारी के रूप में: एक दूसरे से भिन्न परन्तु समानता में। स्त्री और पुरूष, दोनों को परमेश्वर की समस्त सृष्टि पर विशेषाधिकार प्राप्त है और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। मानवजाति परमेश्वर पर निर्भर है और इसलिये वे एक दूसरे की सेवा करते हैं।

उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिये लिंग (जेन्डर) के साधनों का उपयोग करने से ऐसे गंभीर सवाल उठ खड़े हो सकते हैं: स्त्री और पुरूष, किस प्रकार से परमेश्वर की प्रमुखता को संपूर्ण मानवजाति के सम्बन्ध में स्वीकार कर सकते हैं? उत्पत्ति के लगातार चल रहे कार्य के में किस प्रकार से स्त्री और पुरूष परमेश्वर के साझेदार के रूप में जी सकते हैं? साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिये समानता में सृष्ट किया जाना तथा भण्डारीपन की समानता में जिम्मेदारी, यह बाइबल की मूल धारणाओं की व्याख्या कैसे कि जा सकती है? आपकी संस्कृति के संदर्भ में परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबन्ध का अर्थ क्या हो सकता है? आपकी संस्कृति के संदर्भ में स्त्रियों तथा पुरूषों के न्याय का भण्डारीपन का निहितार्थ क्या हो सकता है?

नीचे लूथरन के धर्म सिद्धान्तों के कुछ मूल शुरुआती बिन्दु दिए गए हैं जिसके प्रकाश में लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन सदस्य कलीसियाओं को लिंग न्याय को लेकर उनके विविध कार्यक्रमों विकसित तथा एक दूसरे के साथ बांटने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रियाएं और संवाद, स्त्रियों तथा पुरूषों के पूर्ण आपसी सहयोग में ही हो पाना संभव है।

8 Op. cit (note 5), 9

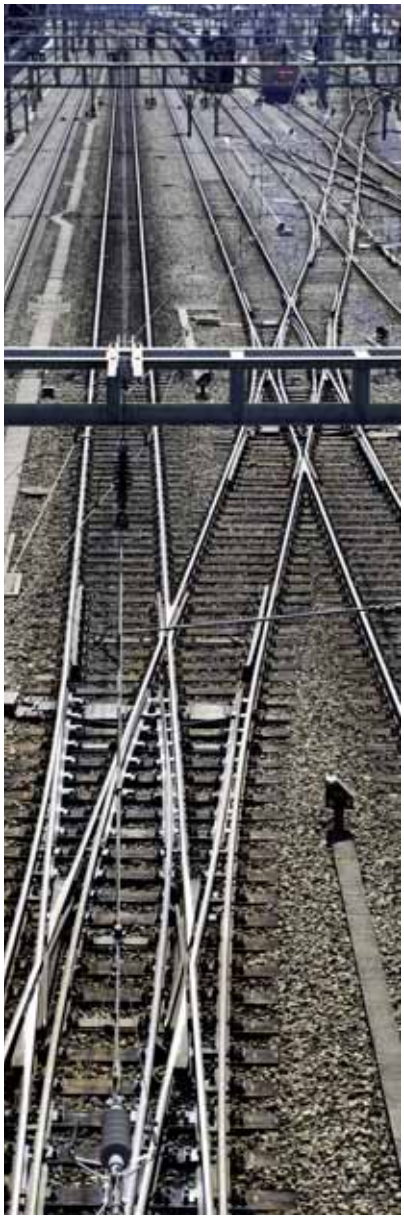

पवित्र शास्त्र: जीवन और पाठ्य के बीच संवाद

बाइबल क्यों महत्वपूर्ण है? बाइबल इस संसार को परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में बताती है। लूथर ने मसीहियों को स्मरण दिलाया कि मसीह के द्वारा अनुग्रह प्रदान करने की परमेश्वर की प्रतिज्ञा, सबसे महत्वपूर्ण बात है। अतः, लूथरन की परम्परा में, यह मूल सवाल हमेशा पूछा जाता है, मसीह को क्या लिये चलता है? दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का अनुग्रह किस प्रकार से प्रकट होता है? इसके उदाहरण हमें सुसमाचार में मिलते हैं। जब यीशु, उस दुर्बल स्त्री को चंगा करता है और उसके संपूर्ण मनुष्यत्व को पुनःस्थापित कर देता है (लूका 13:10–17)।

यह धारणाएं हमें ऐसे सवालों की ओर ले जाते हैं कि, स्त्रियों तथा पुरूषों के लिये परमेश्वर के अनुग्रह का क्या मतलब है? बाइबल के पाठ्यों को लिंग न्याय के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है या उसकी व्याख्या की जा सकती है?

बाइबल के विभिन्न संदेशों को आज के संदर्भों को ध्यान में रखते हुए उनकी व्याख्या करना, इसे भाष्य विज्ञान कहते हैं।

> लूथरन की परम्परा में स्वयं की ही अन्तर्दृष्टि को एक सक्रिय, स्व–आलोचक तथा भविष्य के लिये खुला रहने का न्यौता है। उसकी धर्मशास्त्रीय बाह्य दृष्टि उपभाषीय तनावों से चिन्हीत है, जो संकल्पों का विरोध करती है क्योंकि वह परमेश्वर के साथ तथा परमेश्वर के संसार में अलग अलग पहलूओं को उजागर कर करती है।[9]

यहां शिक्षा की एक भेदकारी समूह है जिसे पवित्र शास्त्र की व्याख्या करने के लिये लूथरन मददगार मानता है। इसमें उस बात की पुष्टि शामिल है कि मसीही लोग, यह पुरोहित वर्ग के लोग हैं, जिनका औचित्य विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हुआ है, व्यवस्था और सुसमाचार की विशिष्टता, 'सोलूस ख्रिस्तुस, सोला ग्राशीया, सोला फाइड, सोलो वर्बो' तथा क्रूस का धर्मविज्ञान और वह व्याख्याकारक सिद्धान्त कि शास्त्र की शास्त्र की व्याख्या करता है। जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, एक महत्वपूर्ण प्रवेश मार्ग, एक भाष्य विज्ञान की कुंजी, ये है कि पाठ्य को सवालों की रोशनी में पढ़ने की जरूरत है, और सवाल यह है कि, मसीह को क्या लिये चलता है?

9 इबीद, 8

व्यक्तिगत रूप से, या समूहों में, कलीसियाओं में और समुदायों में बाइबल पढ़ना, इसके लिये पाठ्य के साथ एक सक्रिय नाता होना जरूरी है– उसके ऐतिहासिक संदर्भों से तथा साथ ही आज के जीवन की वास्तविकताओं से। जीवन के अनुभवों की यह पृथकता और सम्पन्नता, जीवन और बाइबल के सामुदायिक पार्श्वभूमि से संम्बन्धित है। इसी लिये लिखित, मौखिक तथा शाब्दिक व्याख्या मेंभाषा और सांस्कृतिक विविधता और साथ ही ग्रहणता और श्रोतागण, ऐसे घटक हैं जिन्हें पवित्र शास्त्र की व्याख्या करते समय ध्यान में रखना जरूरी है। सामुदायिक पार्श्वभूमि में विद्यमान प्रथाओं तथा संदर्भ सम्बन्धित परिस्थितियों की संगति तथा विसंगति को ध्यान में रखते हुए बाइबल के पाठ्यों की व्याख्या करने से वह समृद्ध बनेगी।

लूथरन सहभागिता के अन्तर्गत बाइबल की व्याख्या करने के विविध मार्ग है। उन्हीं में से एक है, संदर्भ– सम्बन्धित या लोकप्रिय पठन, जिसमें संदर्भ और समुदाय, पाठ्य के साथ संवाद करने के शुरुआती बिन्दु है। व्यवस्था और सुसमाचार के बीच तनाव को पहचान पाने के लिये, महत्वपूर्ण साधन अनमोल तत्व हैं इस उद्देश्य के साथ कि हो रहे अन्याय की प्रणालियों में यह बदलाव ले आएंगे। इस रीति से बाइबल का पठन करने से स्त्रियों तथा बहिष्कृत समूहों को अधिकार दिलाने के लिये एक रोशनी और ताकत का का कार्य कर सकता है और साथ ही लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) को प्रोत्साहन दे सकता है। बाइबल के पाठ्यों को संदर्भ स्थापित किए गए परिप्रेक्ष्य से पढ़ना जिसमें बहिष्कृत लोग तथा समुदाय शामिल हैं, एक अधिकार प्रदान करने वाला कृत्य है जो स्थानीय लोगों मे व्याप्त तथा संदर्भ सम्बन्धित धर्म सिद्धान्त को व्यकत करता है।

बाइबल की कहानियों के सम्बन्ध में लोग अपने प्रतिदिन के संघर्षों को देखते हैं। पाठ्य के साथ परस्पर सम्बन्ध आने से लिंग (जेन्डर) पर आधारित हो रहे अन्याय के प्रति सवाल करने की प्रेरणा जागृत करता है। बाइबल की गवाहियों में तथा मसीही प्रथाओं में लिंग न्याय के मामले को धर्मशास्त्रीय आधार उपलब्ध है। जबकि इस धर्मशास्त्रीय तथा बाइबलीय प्रथा को संसार में स्त्रियों और पुरूषों के बीच नेतृत्व के विभिन्न पहलूओं में सहयोग की पुष्टि करने वाली व्याख्या के रूप में किया जा सकता है, परन्तु सामान्यतः इस समझ को परिवार, कलीसिया या जनसमुदाय के संदर्भ में पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता। स्त्रियों पर अनेक प्रकार की घरेलू जिम्मेदारियां का अत्याधिक बोझ होता है, वह सेवकाई में नेतृत्व करने के पद से दूर रहती है और सार्वजनिक क्षेत्र में

नेतृत्व करने के लिये उसे कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता।

बाइबल के कुछ भाग और कलीसिया की प्रथाएं जो स्त्रियों को इस प्रकार से अलग रखे जाने को समर्थन करते हैं, उन्हें परमेश्वर के समक्ष मानवजाति की समानता, परमेश्वर की ओर से मानवजाति को भण्डारीनपन का दिया हुआ आदेश तथा बपतिस्मा के द्वारा मिली नई पहचान की सर्वसाधारण समझ की रोशनी में पुनः पढ़ने की जरूरत है।

व्याख्यात्मक या व्याख्या करने से सम्बन्धित चुनौतियों को सुलझाना आसान नहीं है, क्योंकि उनका सांस्कृतिक संदर्भ से सम्बन्ध स्थापित जाता है, जिसे न केवल समकालीन समाज की में देखा जा सकता है, बल्कि इसका उल्लेख बाइबल के कुछ पाठ्य में तथा खुद मसीहियों की प्रथाओं में स्पष्ट रीति से देखा जा सकता है।

लिंग (जेन्डर) विश्लेषण का उपयोग करते हुए बाइबल के पाठ्यों को संदर्भ के सम्बन्ध में पढ़ना, समाज और कलीसियाओं में आज पुरूषों एवं स्त्रियों के बीच असमानता को सुस्पष्ट करने का मददगार तरीका है। सुक्ष्म निरीक्षण की दृष्टि से पाठ्य को पढ़ने से विचारधाराओं को विखण्डित करने में मदद मिलती है, जो समाज की प्रणालियों में स्थायी बन चुकी है, जो किसी को सुविधा प्रदान करती है तो किसी पर अत्याचार कराती है, जैसा हम कुलपति की संरचना में देख सकते हैं। सुक्ष्म निरीक्षण की दृष्टि से पढ़ने का उद्देश्य स्त्रियों तथा पुरूषों को परिवर्तनशील तथा उचित संम्बन्धों की ओर तथा लड़कों एवं पुरूषों, लड़कियों एवं स्त्रियों का आपसी भागीदारी में एक वैकल्पिक सामाजिकीकरण के लिये सक्रिय रूप से संघटित करना है। इस प्रकार के सामुदायिक सम्बन्ध, न्याय और प्रतिष्ठा के लागूकरण की एक जीवन्त अभिव्यक्ति हो सकती है।

- न्याय के विषय में पवित्र शास्त्र क्या कहता है?
- बाइबल के कौन से पाठ्य लिंग न्याय का समर्थन करते हैं?
- कौन से पाठ्य पुरूषों तथा स्त्रियों के बीच एक उचित तथा समानता के सम्बन्धों के विरोध में है या उसे चुनौति प्रदान करते हैं?
- इस सभी पाठ्यों को पढ़ने में परमेश्वर के अनुग्रह का क्या अर्थ हो सकता है?

धर्मी ठहराया जाना और अनुग्रहः संपूर्ण मानवजाति के लिये छुटकारा और प्रतिष्ठा

- धर्मी ठहराए जाने से कैसा महसूस होता है?
- जिसे एक ही साथ धर्मी तथा दोषी ठहराया गया हो, ऐसे व्यक्ति को कैसा महसूस होता है?
- व्यक्ति विशेष तथा स्वयं कलीसिया को एक ही साथ धर्मी तथा दोषी ठहराया जाए, उसके परिणाम उन पर क्या हो सकते हैं?

इस नीति में जो धर्मशास्त्रीय तरीकों को प्रस्तुत किया गया है, वे न्याय पर आधारित है, एक मौलिक परिकल्पना के रूप में जो अनुग्रह के द्वारा विश्वास से धर्मी ठहराए जाने के इस बाइबलीय धारणा में स्थापित है, और जो लूथरन की पहचान का आधार है। धर्मी ठहराए जाने का अर्थ है, उन बातों से छुटकारा प्राप्त करना जो बातें हमें बांन्धे रखती है (देखें रोमियों 5)।

यह धर्मशास्त्रीय तरीका जो धर्मी ठहराए जाने पर आधारित है, इस बात को भी समझता है कि मानव अब भी अधिकार परम्परा और अनुचित प्रणालियों के अधीन है, अक्सर इस हद तक कि वे अब भी अनुचित कानूनों के तहत जी रहे हैं; फलस्वरूप, इस मूलभूत धारणा के साथ जीना कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराया जाना, मेरीटोक्रेसी (एक ऐसी समाज व्यवस्था, जहां लोगों को उनके धन या सामाजिक प्रतिष्ठ से नहीं बल्कि उनकी उपलब्धियों के कारण प्रतिष्ठा

या सम्मान प्राप्त होता है) की पकड़ से छुटकारा पाना है, या फिर अधिकार परम्परा तथा मूल्यों की जरूरतों को पूर्ण करने से छुटकारा पाना है। अतः हम एक ही बार में धर्मी भी है तथा पापी भी। लूथरन के परिप्रेक्ष्य से यह अस्तित्व की एक विरोधाभासीय अवस्था है जिसमें कलीसिया और समाज हमेशा अपने आपको लिप्त पाते हैं। अनुग्रह की प्रेरणा से मार्गदर्शित होना, इस बात की पुष्टि करना है कि पुरूषों और स्त्रियों का समर्थ बनाया गया है कि वे विरोध करें और रूपान्तरण के कार्यों में शामिल हो जाएं।

मानवजाति, न केवल उत्पत्ति में बराबरी पर है, परन्तु वे पाप में भी बराबरी पर है। पौलुस कहते हैं, "जैसा लिखा है, कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं।... इसलिये कि सब ने पाप किया है और परमेश्र की महिमा से रहित है" (रोमियों 3:10, 23)। हांलांकि, किसी व्यक्ति विशेष के कर्म तथा कार्यों के संदर्भ में समझना एक सामान्य बात है, लेकिन समुदायों तथा संस्थाओं ने भी अपने भीतर झांककर देखने की जरूरत है।

दूसरों को, स्वयं को और परमेश्वर को दुःख या हानि पहुंचाने को पाप कहते हैं। कानून, आदतें, धारणाएं, रवैया और नीतियां भी अपराधी (पापी) हो सकते हैं यदि उससे परमेश्वर की सृष्टि के किसी भी हिस्से को हानि पहुंचती है। अतः पाप, न केवल व्यक्तिगत है तथा ढांचागत तथा संस्थागत भी है। ऐसी कोई भी बात जो किसी एक समूह को कम महत्व देती है तथा दूसरे समूह को अधिक, तो यह पाप है क्योंकि दूसरों का मूल्य घटाना हानिकारण है। इस अर्थ में, एक ऐसी प्रणाली जो अधीनीकरण तथा अत्याचार पर आधरित है, जिसमें स्त्रियों की तुलना में पुरूषों को अधिक महत्व दिया जाता है, एक पापमय प्रणाली है। अत्याचार करने वाली एक पापमय प्रणाली कि यह समझ, विश्लेषण को अत्याधिक सरल बनाने से बचने में मदद करती है। एक प्रणाली के तहत जीवन जीने का अर्थ है कि अनुचित ढांचों पर विजय हासिल करना, पुरूषों और स्त्रियों, दोनों की जिम्मेदारी है। इसलिए कि एक पापमय प्रणाली में स्त्रियों तथा पुरूषों, दोनों से अमानवीय व्यवहार होता है, यह दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वे साथ मिलकर बदलाव और रूपान्तरण के आंदोलनों में सक्रियता से शामिल हो जाएं। अतः लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस), पुरूषों एवं स्त्रियों, दोनों से सम्बन्धित है जो साथ मिलकर भागीदारी और न्याय पर आधारित जीवन को संघटित करती है।

विश्वास तथा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए जाने से संसार में मसीहियों का अस्तित्व बदल जाता है और इस प्रकार से यह कलीसिया को अनुचित प्रणालियों को सम्बोधित करने के लिए आधार प्रस्तुत करता है। दाख की बारी में काम करने वाले मजदूरों की कहानी में (मत्ती 20:1–16), परमेश्वर का अनुग्रह सभी मजदूरों पर समान होता है क्योंकि प्रतिष्ठा को पुनःस्थापित किया गया है। अतः छुटकारे के विषय में मानवता समान है।

- आपको क्या महसूस होता है कि उन मजदूरों के जीवन में क्या बदलाव आया होगा इसलिए कि उनके साथ समानता में व्यवहार किया गया था?
- इसलिए कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सभी को धर्मी ठहराया गया है, समाज में क्या बदलाव आता है?

परमेश्वर का अवतरण: मूर्त रूप देना और न्याय

- यीशु मसीह में परमेश्वर का मूर्त रूप और न्याय, इस दोनों के बीच आपको क्या सम्बन्ध दिखाई देता है?
- मनुष्यों के मूर्त रूप में और न्याय में आपको क्या सम्बन्ध दिखाई देता है?

परमेश्वर की इच्छा थी कि वह मनुष्य के शरीर में एक संपूर्ण मानवी जीवन व्यतीत करे। परमेश्वर, यीशु मसीह में होकर मानवजाति से मिलता है, जो बताते हैं कि परमेश्वर कौन हैः एक ऐसा परमेश्वर जो

लोगों को दासत्व से छुटकारा दिलाना चाहता है, एक भटके हुए संसार के बन्धनों से मुक्त करना चाहता है, गरीबों तथा अत्याचार सह रहे लोगों को समर्थ बनाना चाहता है और सभों को आमंत्रित करना चाहता है कि परमेश्वर की सन्तान की नाई अपना जीवन स्वतंत्रता में व्यतीत करे। परमेश्वर का यह अनुभव है "सुनकर नीचे आना" और उन लोगों को छुड़ाना जो उससे मदद की गुहार लगाते हैं (निर्गमन 2:24; 3:7)।

यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को परमेश्वर के परिवार के एक नये प्रतिमान में बुलाया, एक ऐसे परिवार में, पुरूषों द्वारा शासित पारिवारिक प्रणालियों को रूपान्तरित किया गया (मसकूस 3:35)। मानव शरीर, अपनी संपूर्ण वास्तविकताओं में, अपने सारे दुःखों और खुशियों में, यीशु मसीह में परमेश्वर के अवतरण के कारण मसीही प्रकटीकरण के मध्य बसा हुआ है। अतः अपने अवतरण के माध्यम से परमेश्वर मानवजाति से एक गहरा सम्बन्ध स्थापित करते है। वचन देहधारी हुआ; और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया (यूहन्ना 1:14)। पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाते हुए, मसीह का शरीर एक नया, भाई और बहनों का न्यायी समुदाय है। यह समुदाय, जो कलीसिया कहलाती है, आज यह मसीह का शरीर है (1 कुरिंथ. 12:26–27)।

पवित्र आत्मा, कलीसिया को सामर्थ प्रदान करता है कि वह संसार में न्याय को स्थापित करे। न्याय, यह कलीसिया की पहचान का एक हिस्सा है। कलीसिया के जीवन में, मानवजाति उस चीज़ की एक झलक पाती है जो कलीसिया और संपूर्ण सृष्टि होगी।

परमेश्वर का अनुग्रह, छुटकारा दिलाने वाले न्याय को फैलने के लिये अवसर प्रदान करता है, इसलिए, यह कलीसिया का भविष्यसूचक कार्य है कि वह इस बात को उन लोगों के संदर्भ में पहचाने जो भेदभाव और हिंसा से पीड़ित है कि कौन से रूप में यह न्याय आकार लेगा। यह बात कलीसिया को उत्साह और जोश से भर देती है कि वह सक्रियता से सभी सम्बन्धों में न्याय दिलाने में शामिल हो जाए।

आपके संदर्भ में, परमेश्वर के अवतरण के कौन से चित्र आप देख सकते हैं?

- किस प्रकार से परमेश्वर के अवतरण के चित्र, स्त्रियों तथा पुरूषों के बीच न्याय से सम्बन्धित हैं? (या, कौन से मार्गों में परमेश्वर का अवतरण स्त्रियों तथा पुरूषों के बीच न्याय से सम्बन्धित हैं?)

पवित्र विधियाँ: सर्व-संमिलित तथा गोल मेज पर सेवा के लिये मुक्त

- पवित्र विधियों में किस प्रकार की स्वतंत्रता का परमेश्वर अभिवचन देता है?
- प्रभु भोज की विधि के दौरान, मसीह के शरीर में चित्रों की किन विविधताओं को आप पहचान पाते हैं?

बपतिस्मा के द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति मसीह के शरीर का एक हिस्सा बनता है (1 कुरिंथ. 12)। हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है तथा पवित्र आत्मा के द्वारा उसे भिन्न–भिन्न वरदान, योग्यताएं, क्षमताएं, कौशल प्राप्त हैं।

यीशु ने बहिष्कृत, पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के साथ एक ही मेज पर भोजन किया और इस कृत्य के द्वारा उसने उन्हें समर्थ बनाया। रोटी और दाखरस के माध्यम से हम उसी मेज के भागीदार हैं और हम मान लेते हैं कि हम समान है और हमारी सहभागिता केवल परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है। यीशु मसीह में सभी को क्षमा और नया जीवन प्राप्त करते हैं। इसलिए यहां कोई कारण नहीं कि हम पुरूषों और स्त्रियों के बीच या फिर लोगों और पर्यावरण के बीच भेदभाव करे या उन पर अत्याचार करें। जिस तरह से पौलुस से गलतिया और कुरिन्थुस की कलीसियाओं को अपने प्रसिद्ध उपदेश में कहा, "... न कोई नर, न नारी है" (गलिती. 3:26–28; 1 कुरिंथ. 12:13)।

मानवजाति, चाहे वह किसी भी लिंग (जेन्डर), जीव शास्त्र, या अन्य परिस्थितियों से हो, मसीह के अनुग्रह, क्षमा और नये जीवन में रूपान्तरित हो गया है। जातीयता, वर्ग और लिंग पर आधारित अधिकारों में भिन्नता, बपतिस्मा के द्वारा अब बदल चुके हैं, रूपान्तरित हो चुके हैं। अब मसीह में सब एक है।

पौलुस गलतियां वासियों को आगे स्मरण दिलाता है, "मसीह ने स्वतंत्रता के लिये हमें स्वतंत्र किया है" (गलती. 5:1)। सभी विश्वासियों के याजक होने का अर्थ है कि लोग न केवल स्वतंत्र किए गए है, परन्तु उन्हें परमेश्वर के अधिपत्य में स्वतंत्रता की देखभाल करने के लिये पवित्र आत्मा द्वारा बुलाया गया है। यह स्वतंत्रता हमें सेवा करने, उत्पन्न करने तथा एक न्यायसंगत समुदाय में जीने के लिये मिली है, कि हम एक दूसरे की परवाह करें, वरदानों तथा निर्णय लेने को बांटें, तथा सुविधाओं तथा अत्याचार की प्रणालियों से बहिष्कृत लोगों को समर्थ बनाने के लिये मिली है। लिंग न्याय, मसीही स्वतंत्रता की एक अभिव्यक्ति है। दृश्य कलीसिया के संदर्भ में यहां के पुरूषों तथा स्त्रियों का यह उत्तरदायित्व है

कि वे भागीदारी, पारदर्शी तथा लेखादेय ढांचों को विकसित करें, जो लोगों तथा संस्थाओं के जीवन में लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) को निर्माण करने के ठोस तत्व साबित हो।

- किस प्रकार से बपतिस्मा और परमप्रसाद पूर्वानुमान लगा सकता है तथा जीने के नये मार्ग खोल सकता है?
- आपके संदर्भ में साझा नेतृत्व की कौन सी पद्धतियां विकसित की जा सकती है?

कलीसियाई स्तंभ: साझा नेतृत्व और समानता की शिष्यत्वता

- किस प्रकार से आपको लगता है कि बपतिस्मा, नेतृत्व तथा शिष्यत्वता को प्रभावित करता है?
- किस प्रकार से हम एक कलीसिया के नाते स्त्रियों द्वारा नेतृत्व को लेकर परस्पर विरोधी पाठ्य को प्रतिउत्तर देते हैं?

बपतिस्मा के द्वारा, पुरूषों तथा स्त्रियों, दोनों को ही परमेश्वर में पुनःस्थापित किया जाता है। हालांकि हम पापी ही हैं, फिर भी परमेश्वर द्वारा दोनों को ही पूर्ण रीति से स्वीकार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के समक्ष लिंगों की एकता है, हमारा पापी होने

में तथा हमें धर्मी ठहराए जाने में। लिंग (जेन्डर) को लेकर किसी को भी परमेश्वर के समक्ष कोई विशेषाधिकार नहीं है। परमेश्वर की समक्षता में कोई भी व्यक्ति इसलिए धर्मी नहीं ठहराया गया है कि उन्होंने क्या किया है या फिर वे कौन हैं, परन्तु केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उन्हें धर्मी ठहराया गया है।

जीवन के हर पहलू में रचनात्मकता के इस साझे चित्र को मान लिया गया है, वहां भी जहां सांस्कृतिक प्रभाव, भूमिका निभाने की विभिन्नता को आकार देते हैं। एक लिंग द्वारा अन्य लिंग को अपने अधीन करना, सृष्टि की परम्परा की आत्मा से पूर्ण रीति से सुसंगत नहीं है हालांकि कुछ लोगों ने "उसके उपयुक्त एक सहायक" का संदर्भ लिया है (उत्पत्ति 2:18) ताकि स्त्रियों को पुरूषों के अधीन माना जाए, इसका अर्थ विश्वासयोग्य परस्पर सहायक के रूप में भी हो सकता है क्योंकि अन्य पाठ्यों में, इसी 'सहायक' शब्द का उपयोग परमेश्वर के संदर्भ में किया गया है। उदाहरण के लिये, "मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्त्ता है (भजन. 121:1–2)"। यहां स्त्री के लिये जिस शब्द का उपयोग किया गया है कि वह पुरूषों की 'सहायक' है, उसी शब्द का उपयोग भजनसंहिता 121 में परमेश्वर पर निर्भरता दर्शाने के लिये भी किया गया है। इस समझ के अनुसार, सहायक का अर्थ किसी के अधीन रहना नहीं है परन्तु उसका अर्थ है विश्वासयोग्य आपसी सहारा।

यह सीख कि "स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें" (1 कुरिंथ. 14:34) इस वाक्यांश को चुप रहने के अन्य आदेशों से अलग–थलग नहीं पढ़ा जा सकता। उदाहरण के लिये, परन्तु यदि अनुवाद करनेवाला न हो, तो अन्यशाषा बोलनेवाला "कलीसाया में शान्त रहे, और अपने मन से, और परमेश्वर से बातें करे" (1 कुरिंथ 14:34)[10]। भविष्यद्वक्तओं के विषयों में भी एक समय में केवल एक को ही बोलने का अधिकार है, "परन्तु यदि दूसरे पर जो बैठा है, कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो, 'तो पहिला चुप हो' जाए" (1 कुरिंथ 14:30)। सो, कुरिंन्थियों की पत्री में, स्त्रियों को चुप कराने को हम उपासना की मांग के एक व्यापक संदर्भ में देख सकते हैं, यद्यपि "व्यवस्था" या सृष्टि के अनुक्रम का इस स्थानीय जरूरत पर एक तरह से बल देने के लिये पुनरावेदन किया जाता है। पौलुस की यह मांग कि कलीसियाओं की सभाओं में स्त्रियों ने चुप रहना है, यह संदर्भ से सम्बन्धित है। इसे एक वैश्विक नियम के रूप में मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन सभाओं में पौलुस स्त्रियों द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रार्थना या भविष्यद्वाणी करने का अनुमोदन करते है (1 कुरिंथ 11:5)। इन दोनों ही पाठ्यों के बीच तनाव या विषमता देखी जा सकती है, जो स्पष्ट रीति से दर्शाता है कि बाइबल के समय में और आज भी, संदर्भ को ध्यान में रखते हुए अनुवाद करना एक अत्यंत जरूरी तत्व था और है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐतिहासिक संदर्भों के कारण, जिसमें यह लिखे गए थे, नये नियम के पाठ्य एकमत से लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) को समर्थन नहीं करते। ऐसे पाठ्य जो लिंग अधिकार परम्परा को हलके में लेते हैं (उदाहरण के लिये, पत्नियों को अपने पति के अधीन रहने की मांग, इफिस. 5:21–24; कुलु. 3:18) उसे यीशु द्वारा कहीं बातों तथा पौलुस की पत्रियों की शिक्षाओं की रोशनी में पुनर्विचार करने की जरूरत है।

क्या हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि किसी विशिष्ट लिंग (जेन्डर) को नेतृत्व करने से दूर रखना, यह बाइबल तथा कलीसिया की परम्परा के सम्बन्ध में नियमित नहीं है? पुराने तथा नये नियम, दोनों के समय परमेश्वर का भय रखने वाली मंत्री पर पर

10 कुछ संशोधको का मानना है कि पाठ्य पौलुस द्वारा नहीं लिखा गया है, परन्तु इसे बाद में शामिल किया गया है। इसे स्त्रियों के चुप रहने तथा बहिष्करण को मजबूती प्रदान करने के लिये जोड़ा गया है।

आरूढ़ स्त्रियां थी। हारून और मूसा के साथ काम करने वाली वहां मरियम नामक एक नबिया थी (निर्गमन 15:20)। वहां दबोरा भी थी जो एक धार्मिक तथा राजनीतिक अगुवा थी (न्यायियों 4:4)। जब यीशु का मन्दिर में समर्पण विधि हुआ था तब भविष्यवक्तिन हन्नाह ने उसके मसीह होने की बात को पुष्टि की और उसे आशीर्वाद दिया (लूका 2:36)। यीशु के अनेक पुरूष तथा महिला शिष्य थे। उनमें से कई स्त्रियां यीशु की आर्थिक जरूरतों को पूरा करती थी, उदाहरण के लिये,

> और वे बाहर उसके साथ थेः और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं, और वे यह हैं, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिस में से सात दुष्टात्माएं निकली थीं। और हेरोदेस के भण्डारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सूसन्नाह और बहुत सी और स्त्रियांः वे तो अपनी सम्पत्ति से उस की सेवा करती थी (लूका 8:2,3 तथा मरकूस 15:41)।

इनमें से कई स्त्रियां यीशु के पुनरुत्थान के गवाह थे (लूका 24:22; यूहन्ना 20:11–18)। रोमियों 16 में, अलग अलग भूमिकाओं में तथा मंत्री पदों पर कार्य कर रही स्त्रियों का उल्लेख है, जिसमें पौलुस के सहकर्मी के रूप में प्रिसका (रोमियों. 16:3) और प्ररित यूनियास (रोमियों. 16:7) का समावेश है। पहली शताब्दि के मसीही समुदायों में यह स्त्रियां नेतृत्व की भूमिका निभा रही थी। कलीसिया के इतिहास में कई स्त्रियों को मसीह के प्रति उनकी गवाही के कारण अत्याचार सहना पड़ा (उदा. पर्पेटुआ और फेलिसिटास)।

"पुरूषत्व" और "नारीत्व" का क्या अर्थ है, इसकी सामाजिक पहचान, भोगाधिकार और संस्कृति से प्रभावित अनुवाद को कलीसिया प्रतिम्बिबित करती है। इस दिशा में कलीसिया की चुप्पी और निष्क्रियता उसे सहापराधिता के कक्ष में लाकर खड़ा कर देती है। इसे गहनता में देखें तो, कलीसिया ने अभी तक उसके धर्मशास्त्रीय धन का इस्तेमाल ही नहीं किया है जो प्रत्येक मनुष्य की प्रतिष्ठा को बढ़ावा दे सकता है और सबको सम्पन्न बना सकता है और ऐसी प्रथाओं को बदलने में मदद कर सकता है जो सामाजिक तथा संस्कृति के मानकों पर स्त्रियों तथा कुछ पुरूषों को बहिष्कृत करता है।

- एक कलीसिया होने के नाते हम किस प्रकार से बाइबल के असंगत अनुवाद को कलीसिया तथा समाज में नकारात्मक सांस्कृतिक तथा सामाजिक मानकों को अपना प्रभाव डालने में तथा उसे स्थायी बनाने में अनुमति देते हैं?
- बाइबल के विवरणात्मक वर्णनों के आधार पर आपको कलीसिया के संदर्भ में कैसे और कहां लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की प्रथाओं का पालन होता हुआ देखते हैं?

संदर्भों से संम्बन्धित कार्य करने की योजनाओं के लिए दिशानिर्देष और साधन

संचालन एवं उत्तरदायित्वः सहभागिता का कार्यालय, कार्यक्रम आधारित कार्य के संदर्भ में संस्थागत अनुवर्तन और संचालन के लिए उत्तरदायी होगा। जनरल सेक्रेटरी द्वारा महासभा को प्रगति का पुनरावलोकन पेश करना होगा।

लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की नीति समस्त लूथरन सहभागिता में लिंग (जेन्डर) को मुख्यधारा में लाने के लिए व्यावहारिक साधन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। कुछ व्यावहारिक साधनों का उपयोग करने का आदेश देने की बजाय केवल सूझाव दिया जाता है। सदस्य कलीसियाओं में अगुवों तथा समूहों के बीच, साथ ही सहभागिता के कार्यालयों और विश्व सेवा राष्ट्रों के सभी स्तरों पर अलग अलग भूमिकाएं निभाने तथा जिम्मेदारियां बांटने को बढ़ावा देने के लिये किया जा सकता है।

सभी स्तरों पर लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए– जैसा लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन नीति 2012–2017 में सहमति हुई थी– उसको लेकर लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन सभों के लिए प्रतिष्ठा और न्याय के मूल्यों के प्रति, विविधता के प्रति अनुकम्पा और आदर, शामिल करना और भागीदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के प्रति समर्पित है, जो उसके कार्यों तथा मिशन को सहारा देते हैं।

संदर्भ सम्बन्धित मूल्यांकन

अलग–अलग संदर्भों को पहचानाना और उन्हें नाम देना, किसी भी सैद्धान्तिक, मानवतावादी या विकास के हस्तक्षेपों के लिए उठाया गया पहला कदम है। किसी संस्था के ढांचे का हिस्सा बनने के लिए किसी नीति को विकसित करना कि वह उसके कार्यक्रम आधारित कार्यों को मार्गदर्शन कर पाए, जो पद्धतिपूर्ण तरीका अपनाया जाएगा वह स्त्रियों तथा पुरूषों, लड़कियों तथा लड़कों के जीवन के अनुभवों को ध्यानपूर्वक सुनने पर, और सामाजिक तथा आर्थिक, राजनीतिक, तथा सांस्कृतिक संदर्भ जो उन्हें प्रभावित करते हैं, इस पर आधारित होना चाहिए। संदर्भ सम्बन्धित मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में, इस बात को मानना महत्वपूर्ण है कि संसार के अधिकांश जगहों में लिंग (जेन्डर) आधारित अन्याय मूख्यतः स्त्रियों के विरुद्ध होता है। इसलिए, पुरूषों की भागीदारी के साथ, स्त्रियों को समर्थ बनाने पर बल दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें न्याय दिलाया जा सके। सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर अनुभवों का निर्माण होता है और अक्सर उन पर असमान अधिकार की छाप देखी जा सकती है। लिंग (जेन्डर) विश्लेषण के माध्यम से इन अधिकार सम्बन्धों को सुस्पष्ट रीति से नामकरण करने तथा पूरी तौर से जांच करने से संदर्भ सम्बन्धित मूल्यांकन के लिए प्रभावकारी नीतियां तय करने के लिए जानकारी उपलब्ध कराती है।

लिंग (जेन्डर) विश्लेषन को ऐसे परिभाषित किया जाता है:

- स्त्रियों तथा पुरूषों के बीच भेदभाव की वास्तविकता को समझने का साधन।
- उन पृथकताओं का परीक्षण, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक असमानताओं एवं अन्याय की ओर ले जाते हैं।
- लिंग (जेन्डर) समानता को हासिल करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, सामाजिक स्थिति, शारीरिक जरूरतें, आर्थिक स्थितियां, और जातीय तथा / या लिंग पहचान इत्यादि विषयों में भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, लिंग आधारित श्रम के बंटवारें, तथा स्त्रियों और पुरूषों की परिभाषाओं को पहचानने का एक साधन।
- स्त्रियों / लड़कियों तथा पुरूषों / लड़कों के बीच असमान अधिकार के सम्बन्धों को उचित सम्बन्धों में रूपान्तरित करना, यही परिणाम प्राप्त करने की अपेक्षा लिंग (जेन्डर) मूल्यांकन करने से की जाती है।

इसलिए यहां इस बात की जरूरत है कि:

1. नीजि तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में लिंग (सेक्स) सम्बन्धित असमानताओं की पहचान करने के लिए लिंग के पृथक मात्रात्मक एवं गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा करना एवं उसका विश्लेषण करना।
2. सांख्यिकीय विश्लेषण के परिणामों पर हस्तक्षेपों, परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों की रूपरेखा आधारित रखना।
3. साधनों एवं सुविधाओं तक पहुंच और उस पर नियंत्रण के लिंग (जेन्डर) आधारित नमूनों का पता लगाने के लिए लिंग विश्लेषण तथा प्रभाव मूल्यांकन के साधनों का उपयोग करने की जरूरत है कि जिससे नीति और प्रबंन्धन के निर्णयों सूचित करना ताकि असमानता का विलोपन करने और

समानता के कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके।

सभी द्वारा सहयोग का तरीका

लिंग (जेन्डर) आधारित अत्याचार से तुरन्त निपटने की जरूरत है। ऐसे संवाद जिसमें लिंग (जेन्डर) सम्बन्धित मामले शामिल होते हैं तथा उस पर अनुचिंतन किया जाता है और बदलाव को बढ़ावा देते हैं, जो लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) के आचरणों की दिशा में ले जाते हैं, तथा जो कलीसियाओं तथा समाजों में अधिकार परम्परा और संम्मिलित न करने के महत्व को चुनौति प्रदान करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है।

संवाद स्थापित करने तथा बदलाव लाने के लिए नई भागीदारियों को स्थापित करना और मौजूदा भागीदारियों को मजबूत बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुदायों, परिवारों, सदस्य कलीसियाओं, लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन की सभी अभिव्यक्तियों तथा लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन और सर्वभौम संस्थाओं की अभिव्यक्तियों के बीच यह वार्तालाप होना अत्यंत महत्वपूर्ण है जिससे कि लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) को सर्वांगीण मिशन के लिए मूल–भूत पूर्वपेक्षित के रुप में संम्बोधित किया जा सके।

व्यावहारिक स्तर पर, कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से भाग लिए जाने को निश्चित किया जाता है और सदस्य कलीसियाओं का कार्य है कि वे:

1. पुरूषों और स्त्रियों को एक साथ और / या अलग–अलग एकत्रित करने के लिए स्थानों या मंचों को उपलब्ध कराएं ताकि वे गहराई से एक दूसरे की बातों को सुने, सावधानीपूर्वक चिन्तन करें और एक दूसरे की बातों को समझे कि किस प्रकार वे अपनी वास्तविकता को समझते और देखते हैं और उनमें से हर एक का क्या अनुभव है।
2. कार्य को ऐसा अनुकूल बनाए कि जिससे पुरूषों और स्त्रियों के बीच साहचर्य और भागीदारी स्थापित की जा सके, जिसमें संघर्ष का निराकरण करने के लिए साधन और पद्धतियां भी शामिल हो।
3. इस बात को निश्चित करें कि स्त्रियों तथा पुरूषों, लड़कियों तथा लड़कों के सामरिक महत्व की रूचियों और व्यावहारिक आवश्यकताओं को, कार्यक्रमों तथा योजनाओं के माध्यम से उचित रीति से सम्बोधित किया जा रहा है; और पुरूषों तथा स्त्रियों, दोनों को उनके उत्पादक तथा पुनरूत्पादक की भूमिकाओं में देखा जा रहा है।

लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) को प्रथम स्थान देना

लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) को सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता प्रदान करना यह मुख्यतः एक राजनीतिक तथा सामरिक महत्व का निर्णय है।[11] इसका अर्थ यह है कि हर एक प्रक्रिया, ढांचा, रूपरेखा, कार्यक्रम और योजना, और साथ ही संपूर्ण संस्था के हस्तक्षेपों की योजना बनाना, कार्यान्वित करना, संचालन करना, विवरण देना और मूल्यांकन करना, लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) के प्रति उत्तरदायी होगा। इसमें समझबूझकर ढांचे को पुनःपक्तिबद्ध करना भी शामिल है, जिसमें लिंग (जेन्डर) विश्लेषण, निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है।

लिंग (जेन्डर) को मुख्यप्रवाह में ले आने की यू.एन. की परिभाषा वहीं है जो परिभाषा ECOSOC सहमति प्राप्त निष्कर्षों 1997 में शामिल की गई थी जिसमें लिंग (जेन्डर) को मुख्यप्रवाह में लाने की परिभाषा कुछ इस प्रकार की गई है, "किसी योजनाबद्ध कार्य का स्त्रियों और पुरूषों के प्रति निहितार्थ का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया.... जिससे स्त्रियों तथा पुरूषों को समान और उचित फायदा प्राप्त हो, और उसमें असमानता स्थायी रुप न धारण कर ले।"

11 Cf. LWF Strategy, op. cit. (note 5)

नीचे कुछ कदम दिए गए हैं जिससे लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) को सहभागिता के मुख्यप्रवाह में लाया जा सके:

1. लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) का एक विश्लेषणात्मक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का विस्तृत अवलोकन करना तथा उसका जायजा लेना, तथा नियमों और अन्य कानूनी दस्तावेजों, मानव संसाधन की नीतियों, भाषा की नीतियों, इत्यादि का पुनरावलोकन करना।

2. पुरूषों / लड़के और स्त्रियों / लड़कियों के लिए किए गए कार्यक्रमों तथा हस्तक्षेपों से उन्हें पहुंचे फायदों और प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए लिंग (जेन्डर) के प्रति संवेदनशील संकेतकों (मूल्यात्मक तथा गुणात्मक) को परिभाषित करो।

3. प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए संस्था में ऐसे लोगों या समूहों पर ध्यान केन्द्रित करना जो इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

4. लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) पर धर्मशास्त्रीय अभिव्यक्तियों को बढ़ावा दें।

क्षमता विकसित करना

यह अत्यंत जरूरी है कि स्त्रियों तथा पुरूषों को पूर्ण रीति से नेतृत्व करने और निर्णय लेने के समान अवसर दिए जाए। स्त्रियों तथा पुरूषों को समान दर्जा देने के लिए आवश्यकत है कि दायित्व और जिम्मेदारियों को समानता में बांटने की दिशा में कलीसिया कदम बढ़ाएं, और स्त्रियों तथा पुरूषों की समान प्रतिष्ठा का कलीसिया और समाज में प्रतिनिधित्व करे और उसे अपनाएं। अपने मूल्यों और व्यवहारों में, कलीसिया एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है बल्कि उसे ऐसा करना ही चाहिए, जिससे यह दर्शाया जा सके कि वे जो प्रचार करते हैं, उसका वे आचरण भी करते हैं।

इसके लिए स्त्रियों और पुरूषों की क्षमता को उभारने तथा उसे बल प्रदान करने के लिए संस्थागत वचनबद्धता की जरूरत है ताकि लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) के व्यवहारों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें योग्य और सक्षम बनाया जा सके। अलग–अलग स्तरों पर क्षमता को विकसित करने के लिए विचार किया जाना चाहिए और ऐसा करते समय विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों को ध्यान में रखने की जरूरत है।

लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते क्षमता को बढ़ाने की रणनीतियाँ:

1. स्त्रियों के विरुद्ध, घरेलू हिंसा और लिंग (जेन्डर) आधारित हिंसा के प्रति जागरुकता बढ़ाएं।

2. पुरूषों पर ध्यान केन्द्रित करो तथा लिंग (जेन्डर) सम्बन्धित मामलों तथा समान अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पुरूषत्व के नमूनों पर विचार व्यक्त करो, और इस तरह से संस्था के स्तर पर स्त्रियों और पुरूषों, दोनों को लिंगप्रणित जीवों के रूप में देखो।

3. ऐसे बाइबल अध्ययन समूहों का समर्थन करना जो पवित्र शास्त्र पर आधारित लिंग (जेन्डर) सम्बन्धित मामलों पर चर्चा को प्रोत्साहन देते हैं।

4. धर्म की शिक्षा देने वाले विद्यालयों तथा संस्थाओं के पाठ्यक्रमों एवं शिक्षा प्रदान करने के कार्यक्रमों में लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) को सम्मिलित करना।

5. शिक्षकों, स्वयंसेवकों, लोकोपकारी कर्मचारियों, पादरियों तथा कलीसिया के सेवकों के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक स्तरों पर प्रशिक्षण को विकसित करना ताकि उन्हें लिंग के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके और कलीसिया एवं समाज में हो रहे लिंग (जेन्डर) अन्याय को सम्बोधित किया जा सके।

6. धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिए स्त्रियों को प्रेरणा प्रदान करना तथा वहां तक पहुंचने के लिए उनकी मदद करना जिससे इस

बात को निश्चित किया जा सके कि कलीसिया की सेवकाई में धर्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त स्त्रियाँ भी शामिल हो।

7. लिंग (जेन्डर) सम्बन्धित मामलों को सुग्राही बनाने तथा उसे सम्बोधित करने के लिए संचार माध्यम को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना।

8. जवान महिला अगुवों की विशिष्ट क्षेत्रों में समर्थता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम विकसित करना।

9. सहकर्मचारियों के बीच पारस्परिक तथा लगातार प्रशिक्षण, जैसे शिक्षा प्रदान करने और परामर्श देने के कार्यक्रमों की प्रणालियों को विस्तृत बनाना ताकि स्त्रियों तथा पुरूषों को लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) को चिंता के एक सामूहिक विषय के रूप में देखने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

10. संस्थागत ढांचों के विभिन्न स्तरों पर इस बात को निश्चित करना कि स्त्रियों तथा पुरूषों को समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

संस्थागत प्रबंध

एक सर्वसंम्मिलित लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन सहभागिता में विविधता एवं एकता शामिल है। इसका अर्थ है, समझबूझकर रणनीतियों को विकसित करना तथा योजनाओं को कार्यान्वित करना जो स्त्रियों को समर्थ बनाते है तथा पुरूषों और स्त्रियों – विविध समूहों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहन देते हैं, चाहे वह पादरी हो या साधारण व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र या संस्कृति से हो– जो हमें कलीसिया और सहभागिता के अलग–अलग स्थानों में नेतृत्व के परिवर्तित रूप की दिशा में आगे ले जाता है।

सर्व संम्मिलित व्यवहारों का सहभागिता के लिए, कलीसियाई निहितार्थ हैः इसी रीति से कलीसिया, परमेश्वर के सभी लोगों को एक खुली तथा आदर प्रदान करने वाली जगहों का प्रबन्ध करते हुए अधिकार परम्परा को बदलने तथा ढांचों को बहिष्कृत करने का अपना कार्य करना चाहती है। एक कायम रहने वाली सहभागिता के लिए, विविधता और सबको सम्मिलित करना, उसके मूल अंग है जो मसीह में अपनी एकता को प्राप्त करती है।

सभाओं में लिए गए निर्णय इस बात की पुष्टि करते हैं कि कलीसियाओं में ऐसे कदम उठाने तथा यंत्र–रचना तैयार करने की जरूरत है जो स्त्रियों को नेतृत्व करने के लिए मिले वरदानों को अपनाए तथा शासन के हर एक क्षेत्र में सबको सम्मिलित करने को बढ़ावा दे। अपने समान योग्यता के आधार पर समान भागीदारी के स्तर पर पहुंचने के लिए जिन भिन्न–भिन्न व्यावहारिक बाधाओं का सामना अधिकतर स्त्रियों को करना पड़ता है, उसका विरोध करने के लिए, कोटा पद्धति, एक ढांचागत उपाय है।

नेतृत्व में स्त्रियों तथा पुरूषों की पूर्ण भागीदारी एवं समान प्रतिनिधित्व को अपनाना, कलीसिया के नियमित हो रहे रूपान्तरण तथा सुधारणा के लक्षण है। स्त्रियों को पादरी पद प्रदान करना, इस बात की पुष्टि की एक अभिव्यक्ति है। स्त्रियों को पादरी सेवकाई में शामिल करने से कलीसियाई संदर्भ में स्त्रियों की नागरिकता को सुदृढ़ बनाने के लिए आधार प्रदान करता है तथा कलीसियाई में लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) को कार्यान्वित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

1. समुदायों, कलीसिया के सदस्यों, इत्यादि को सहारा देकर तथा वार्तालाप के माध्यम से व्यवहारीय बदलाव को प्रोत्साहन दो।

2. 2012 में सहभागिता के कार्यालय में प्राप्त लिंग (जेन्डर) समान वेतन प्रमाणपत्र के स्तर और आवश्यकताओं को बनाए रखो।

3. लिंग (जेन्डर) संतुलन के सम्बन्ध में ग्यारहवीं सभा के प्रस्ताव के अनुसार, लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन कर्मचारियों, कार्यक्रमों, सभाओं, समितियों और समूहों में सर्वसम्मिलित भागीदारी तथा प्रतिनिधित्व को लागू करो।

4. इस बात को निश्चित करें कि अधिकार का दूरूपयोग तथा शारीरिक शोषण से सम्बधित लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन कर्मचारी आचार–संहिता का बिना किसी अपवाद के, सभी कर्मचारियों द्वारा पालन किया जा रहा है; तथा सदस्य कलीसियाओं और सम्बन्धित संस्थाओं में इस आचार संहिता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और अनुकूल बनाया जा रहा है।

5. सहभागिताओं तथा साझेदार संस्थाओं में संस्थाओं के लिए लिंग (जेन्डर) लेखापरीक्षा लागू करना।

6. इस बात को निश्चित करो कि संस्थाओं के बजट, योजनाएं और कार्यक्रम लिंग (जेन्डर) प्रभावनीय है।

7. लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की नीति के कार्यों का संचालन तथा उसे समन्वित करने के लिए पद की जिम्मेदारी सौंपते हुए संस्था में लिंग (जेन्डर) केन्द्रिय कर्मचारी समूह को स्थापित करो (सहभागिता के कार्यालय में, सदस्य कलीसियाओं में और साझेदार संस्थाओं में)।

8. इस बात को निश्चित करो कि नेतृत्व और निर्णय लेने वाली समितियों में समानता में भाग लिया जा रहा है।

सुरक्षित स्थान तथा चंगाई देने वाले समुदाय

लिंग (जेन्डर) आधारित हिंसा का हर एक कृत्य, परमेश्वर के स्वरूप में बनाई गई सृष्टि को चोट पहुँचाता है, और विश्वासियों के समुदाय पर अतिक्रमण करता है जिन्हें आपस में उचित सम्बन्धों में जीने के लिए बुलाया गया है। इसलिए, इस चुप्पी को तोड़ना अब जरूरी हो गया है। कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वह चंगाई देने वाली अनेक साझेदार संस्थाओं के साथ मिलकर, इस हिंसा से पीड़ित लोगों के घावों को ठीक करने की प्रक्रिया को और सुरक्षित स्थानों को मुहैया कराएं। सर्वांगीण मिशन और सेवकाई का यह भी अर्थ है कि इस लिंग (जेन्डर) आधारित हिंसा के गुनहगारों को सजा दिलाई जाए। इसका आशय है कि लिंग (जेन्डर) चर्चाओं में पुरूषों का भी भाग हो जो अभिव्यक्त करेंगे कि किस प्रकार से पुरूषत्व के नमूने हिंसा और नियंत्रण को कायम बनाए रखता है।

विभिन्न संदर्भों में लिंग (जेन्डर) आधारित अत्याचार और हिंसा, फिर चाहे वे कितने भी सामान्य, पारम्परिक, या व्यापक रूप से स्वीकार किए गए क्यों न हो, आखिर उन्हें अपराध और पाप ही माना जाएगा। लिंग (जेन्डर) आधारित अत्याचर और हिंसा, सुसमाचार के परस्परविरोध में हैं।

विश्वास के एक मामले के रूप में लिंग (जेन्डर) आधारित हिंसा को सम्बोधित करने के लिए रणनीतियाँ:

1. ऐसे मामलों में जहां कानून, सार्वजनिक नीति, सांस्कृतिक या कलीसियाई व्यवहार, लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की आज्ञापूर्ति में नहीं है या जिनका अस्तित्व ही नहीं है, तो ऐसी नई प्रथाओं, कानूनों और सार्वजनिक नीतियों को विकसित करो जो लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) के प्रति समर्पण दर्शाते हैं।

2. स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा और लिंग (जेन्डर) आधारित हिंसा पर रोक लगाने के लिए, जिसमें आपातकालीन परिस्थितियां, आश्रय, तथा शरणार्थी शिविर भी शामिल है, ऐसे कार्यविधियों को अपनाना जिससे स्त्रियों, पुरूषों, लड़कियों तथा लड़कों को एक सुरक्षित स्थान मुहैया किया जा सके।

3. लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य सर्वभौम संस्थाओं, नागरिक सामाजिक संस्थाओं, यूनायटेड नेशन्स की सम्बद्ध शाखाओं तथा सरकारी संस्थाओं के साथ भी अपनी भागीदारी, नेटवर्क और नेतृत्व को बढ़ावा दो और उसे मजबूती प्रदान करो।

4. कलीसियाओं के लिए लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन कार्य की योजना में जो कार्य करने के सुझाव दिए गए है, उन्हें साथ जोड़ो, 'कलीसियाएं, *स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा को न कहो,* जैसे किः समाज कल्याण सम्बन्धित कार्यों को सहारा देना, बाइबलीय तथा उपदेश कला के साधानों को विस्तृत बनाना, कलीसिया को एक सुरक्षित जगह बनाना, सरकारी संस्थाओं तथा मानव समाज संगति, साथ ही अन्य संस्थाओं के सहयोग में कार्य करना।

पारस्परिक उत्तारदायित्व की प्रणालियाँ एवं क्रियाविधियाँ

पारस्परिक उत्तरदायित्व और मुक्त संवाद, दोनों का आपस में सम्बन्ध हैं। जहां कार्यक्रम तथा संस्थाएं नियमित रूप से और स्पष्ट रीति से लिंग (जेन्डर) आधारित अत्याचार को पहचान लेते हैं, वहां स्वाभाविक रुप से एक पारदर्शी पारस्परिक उत्तरदायित्व का अस्तित्व होता है। लूथरन वर्ल्ड फेड्रेशन सहभागिता के अन्तर्गत, सभी अभिव्यक्तियों तथा लोगों के बीच पारस्परिक उत्तरदायित्व के प्रति समर्पण होना अत्यंत जरूरी है; यह निश्चित करने के लिए कि उनके धर्मशास्त्रीय सिद्धान्त और नीतियां उनके व्यवहारों से मेल खाती हैं।आन्तरिक तथा बाहरी, दोनोंभागीदारों के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं

और कार्यविधियों तक पहुंच होना और उनका पारदर्शी होना जरूरी है। अपने पड़ोसी की सेवा करने के लिए मसीही व्यक्ति की स्वतंत्रता में आपसी उत्तरदायित्व बसा हुआ है।

प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक प्रतिष्ठा होती है तथा मानव अधिकार की वैश्विक घोषणा की अनुरूपता में वह अपने अधिकारों तथा अपनी स्वतंत्रता का हकदार है। यीशु की सेवकाई के पद्चिन्हों पर चलते हुए, कलीसिया को यह कार्य सौंपा गया है कि वह गरीबों, अत्याचार से पीड़ित, बहिष्कृत तथा असुरक्षित लोगों के समर्थन में कुछ करें। अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून का अधिवक्ता बनना और उसे आचरण में लाना, वह मार्ग है जिसके द्वारा कलीसिया, मानव प्रतिष्ठा के प्रति अपनी वचनबद्धता को और बढ़ा सकती है और समाज में रूपान्तरण के आवश्यकत अभिकर्ता बन सकते हैं। मानव अधिकार, मानव प्रतिष्ठा का परिणाम है। ऐसे राष्ट्रों में जहां लोग हिंसा और हथियार लैस संघर्षों के बीच जी रहे हैं, वहां कलीसिया ने अन्तरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून का सम्मान करने का समर्थन करना चाहिए; इसका तात्पर्य विशेष रूप से यौन शोषण तथा लिंग (जेन्डर) आधारित हिंसा से भी है।

इन विभिन्न आवश्यकताओं, रूचियों और अधिकारों की उपेक्षा या अवहेलना करने से, मानवतावादी संकट या आपात संकट का सामना कर रहे लोगों को सुरक्षित रखने और बचाये जाने पर एक गंभीर परिणाम हो सकता है। किसी आपात संकट या घोर विपत्ति को शुरूआत से ही लिंग (जेन्डर) सम्बधित मामलों से जोड़ना, एक मूल–भूत बात है; इस बात को निश्चित करने के लिए कि जो मानवतावादी सहायता मुहैया की जा रही है, वह न तो परिस्थिति को और तीव्र बनाएगी और न ही अनजाने में लोगों को खतरे में डालेगी, बल्कि लोगों तक सेवाएं पहुंच रही है और उसका उन पर एक सकारात्मक परिणाम हो रहा है।

रणनीतियों में यह क्षेत्र शामिल हैं:

1. उपलब्ध कानूनी पूर्वव्यवस्था और सम्बद्ध यू.एन. संधियों (मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा; सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू, योग्यकर्ता सिद्धान्त, यू.एन. प्रस्ताव 1325, जेनेव्हा सम्मेलन और अतिरिक्त विज्ञप्तियां) और क्षेत्रीय साधनों जैसे 'बेलेम दो पारा'के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाएं।
2. विकास कार्य में अधिकार आधारित रवैए (RBA) को प्रोत्साहन दे।
3. ऐसे मानवतावादी सिद्धान्तों और आचार संहिता को अपनाना जो मानव प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने तथा सभी प्रकार के यौन शोषण को और अधिकर के दूरूपयोग को कम करने तथा रोकने के सभी हस्तक्षेपों को सहारा देते हैं और इनका सम्बन्ध लिंग (जेन्डर) सम्बधित न्याय के रवैऐ से जोड़ो।
4. लिंग सम्बधित रवैये के साथ आपातकाल प्रशिक्षण को प्रोत्साहन दो।
5. कार्यक्रम करते समय "हानि न पहुंचाएं" का रवैया अपनाएं।
6. परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों में साधनों तक समान पहुंच और समान उपयोग के अवसर प्रदान करो।

शब्दसंग्रह

लिंग (जेन्डर) का तात्पर्य, सामाजिक स्तर पर विशेषताओं और अवसरों को लेकर निर्माण की गई असमानताओं से हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध स्त्री या पुरूष होने से है, और स्त्रियों तथा पुरूषों के बीच पारस्परिक क्रियाओं और आपसी सम्बन्धों की असमानताओं से है। लिंग (जेन्डर) इस बात को निश्चित करता है कि किसी विशिष्ट संदर्भ में एक स्त्री या एक पुरूष से क्या अपेक्षा रखी जाती है, किस बात की अनुमति दी जाती है और किस बात को मूल्य दिया जाता है। अधिकांश समाजों में, स्त्री और पुरूषों में उनको सौंपी गई जिम्मेदारियों में, उनकी भूमिकाओं में, जो कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं, साधनों तक उनकी पहुंच या उस पर उनके नियंत्रण में और साथ ही साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया में पृथकता और असमानताएं पाई जाती हैं।

लिंग (जेन्डर) विश्लेषण एक ऐसा साधन है जिससे किसी भी संदर्भ में स्त्रियों और पुरूषों में असमानता की वास्तविकता को समझा सकता है। यह चेतना जन्य ज्ञान है कि एक ही समस्या का स्त्रियों तथा पुरूषों पर अलग–अलग तथा अनुपातहीन रीति से प्रभाव पड़ता है और इस धारणा को चुनौती प्रदान करता है कि किसी समस्या का प्रभाव सभी पर एक समान होता है, फिर चाहे वह किसी भी संदर्भ में क्यों न हो।

लिंग (जेन्डर) संतुलन का तात्पर्य स्त्रियों तथा पुरूषों द्वारा समानता में प्रतिनिधित्व और भागीदारी से है।

लिंग सम्बन्धित असमानता के आंकड़ें: लिंग (सेक्स) सम्बन्धित असमानता के संख्यात्मक जानकारी का गुणात्मक विश्लेषण।[12]

जेन्डर तथा लिंग (सेक्स) सम्बन्धित असमानता के आंकड़ों को इकट्ठा करना: तुलनात्मक रीति से लिंग (जेन्डर) विश्लेषण कर पाने के लिए, लिंग (जेन्डर) के हिसाब से आंकड़ों और संख्यात्मक जानकारी को इकट्ठा करना और उसके अंतर को खोजना। संपूर्ण आबादी पर मानवतावादी प्रतिउत्तरों का क्या

12 www.actalliance.org/resources/policies-and-guidelines/gender/ACT%20Gender%20Policy%20approved%20by%20GB%2006%20Sept%202010.pdf

प्रभाव पड़ता है, इसको समझने के लिए आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है तथा उसका नित्यक्रम में विश्लेषण किया जाता है।[13]

लिंग (जेन्डर) समानता का अर्थ है, स्त्रियों, पुरूषों, लड़कों तथा लड़कियों को समान अवसर, अधिकर और जिम्मेदारियाँ। समानता का अर्थ यह नहीं कि पुरूष और स्त्री एक समान है, परन्तु इसका तात्पर्य है कि स्त्रियों और पुरूषों के अवसर, अधिकार, और जिम्मेदारियाँ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उनका जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ या पुरूष के रूप में। इसका आशय है कि स्त्री तथा पुरूष, दोनों की रूचियों, आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है।

लिंग (जेन्डर) निष्पक्षता एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से लिंग (जेन्डर) समानता तक पहुंचा जाता है। इसका तात्पर्य, स्त्रियों, लड़कियों, लड़कों और पुरूषों की अपनी–अपनी आवश्यकताओं और परिप्रेक्ष्यों के अनुसार उनसे उचित व्यवहार करना है। उचित न्याय को निश्चित करने के लिए उपायों का उपलब्ध होना बहुत जरूरी है ताकि ऐतिहासिक और सामाजिक हानियों की क्षतिपूर्ति की जा सके जो स्त्रियों और पुरूषों को एक समतल स्तर पर कार्य करने बाधा उत्पन्न करते हैं।[14]

13 इबीद

14 इबीद

लिंग (जेन्डर) की पहचान का तात्पर्य, स्वयं की पहचान और स्वयं के बारे में स्वयं का दृष्टिकोण तथा स्व–अभिव्यक्ति। इसका अर्थ है कि एक लड़का या एक लड़की, पुरूष या एक स्त्री होने का क्या मतलब है। इसका सम्बन्ध उन विशेषताओं तथा लक्षणों से भी है जो हमारी संस्कृति हमसे अपेक्षा रखती है जो हम में स्त्री या पुरूष के रूप में जन्म लेने के कारण होने चाहिए।[15]

लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) में, स्त्रियों तथा पुरूषों की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखना तथा बढ़ावा देना समाविष्ट है जिन्हें, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया जाने के कारण, सृष्टि की देखभाल करने के लिए समान जिम्मेदार है। लिंग न्याय (जेन्डर जस्टीस) की अभिव्यक्ति, स्त्रियों और पुरूषों में समानता और अधिकार सम्बन्धों के समान बंटवारे के द्वारा होती है और साथ ही सुविधाओं और अत्याचार की संस्थागत, सांस्कृतिक तथा व्ययक्तित प्रणालियों, जो भेदभाव को कायम बनाए रखती है, के विलोपन के द्वारा होती है।

लिंग (जेन्डर) को मुख्य प्रवाह में लानाः यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी योजनाबद्ध कार्य की शुरूआत से लेकर अन्त तक लिंग (जेन्डर) को सम्बोधित करना है।

15 इबीद

> यह एक ऐसी रणनीति है कि जिसमें स्त्रियों और साथ ही पुरूषों की समस्याओं और अनुभवों को, सभी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा और कार्यान्वयन, संचालन और मूल्यांकन का एक अंगभूत आयाम बनाया जाए ताकि स्त्रियों को भी समानता में फायदा हो और असमानता को स्थायी न बनने दिया जाए। लिंग समानता हासिल करना इसका अन्तिम लक्ष्य है। (1997 यू. एन. आर्थिक एवं सामाजिक महासभा, ECOSOC पर आधारित)[16]

लिंग (जेन्डर) संवेदनशीलताः सभी क्षेत्रों में नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा, कार्यान्वयन, संचालन और मूल्यांकन में स्त्रियों और पुरूषों की अलग–अलग जरूरतों, भूमिकाओं और उत्तरदायित्व के प्रति सही जागरुकता।[17]

लिंग (सेक्स) का तात्पर्य स्त्रियों तथा पुरूषों में शारीरिक भिन्नता से है। लिंग की यह भिन्नता, पुरूषों और स्त्रियों के शरीर और उनके भिन्न कार्यों को लेकर है।[18]

16 At www.un.org/womenwatch/osagi/intergovernmentalmandates.htm

17 Act Alliance, op. cit. (note 12)

18 इबीद

लिंग (सेक्स) सम्बन्धित असमानता के आंकड़ें: पुरूष, स्त्री, लड़कें और लड़कियों के बीच असामनता की संख्यात्मक जानकारी।[19]

स्त्रियों को समर्थ बनाना: लिंग (जेन्डर) अधिकार के सम्बन्धों को रूपान्तरित करने, स्त्रियों के अधीनीकरण के प्रति जागरूक बनाने और इसे चुनौति देने की उनकी सामूहिक समर्थता को सक्षम बनाने की यह प्रक्रिया है। उन्हें बहिष्कृत किए जाने तथा उनसे भेदभाव किए जाने के ऐतिहासिक कारणों से, स्त्रियों के बीच कार्य करने और उन्हें सक्षम बनाने पर विशेष ध्यान देने की अब भी जरूरत है ताकि स्त्रियों के व्यक्तिगत तथा सामूहिक अधिकारों को समझने के प्रयासों को सहारा दिया जाए जिससे वे कलीसिया तथा समाज में रूपान्तरण के पूर्ण रूप से समर्थ बनाए गए अभिकर्ता के रूप में भाग ले सके। इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान दिया जाता है ताकि स्त्रियों में आत्मविश्वास जागृत करने में मदद की जा सके। निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्त्रियों को सक्रियता से भाग लेने के लिए समर्थ बनाने में आत्मसम्मान एक अत्यंत जरूरी तत्व है। सदा कायम रहने वाले समुदाय, कलीसियाएं और समाज को उभारने के लिए स्त्रियों को सम्मिलित करना तथा उन्हें सक्षम बनाना अनिवार्य है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने से सभी स्तरों पर तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व को बढ़ावा मिलता है।

19 इबीद

अतिरिक्त ऑनलाइन लिंग (जेन्डर) नीति के साधन

ACT
www.actalliance.org/resources/policies-and-guidelines/gender/ACT%20Gender%20Policy%20approved%20by%20GB%2006%20Sept%202010.pdf/view

APRODEV
www.aprodev.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=29&lang=en

CARE International
http://gender.care2share.wikispaces.net/CARE+International+Gender+Policy

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (ICRC):
www.ifrc.org/Global/Governance/Policies/gender-policy-en.pdf

International Labour Organisation (ILO)
www.ilo.org/public/english/region/asro/mdtmanila/training/unit1/harvrdfw.htm

National Council of the Churches of Christ in the USA (NCCC)
www.ncccusa.org/pdfs/gender-4web.pdf

UN Habitat
http://ww2.unhabitat.org/pubs/genderpolicy/role.htm

United Nations Development Programme (UNDP)
http://hrba.undp.sk/index.php/assessment-analysis-and-planning/gender-assessment/genderchecklist

World Health Organisation (WHO)
www.who.int/entity/gender/mainstreaming/Gender_Manual_Glossary.pdf